(पिम नियमावली का अंश)

अध्याय–7
निर्वाचन हेतु कार्मिकों की नियुक्ति

निर्वाचन कार्मिकों की नियुक्ति

44(1) जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से भू–धारक मतदाताओं/निर्वाचित एवं सहयोजित मतदाताओं द्वारा किया जाता है। पूरी मतदान प्रक्रिया को सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम–2009 एवं उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली–2010 के अंतर्गत सम्पन्न किया जाएगा। चुनाव अधिकारी द्वारा निर्वाचन की तिथियाँ घोषित होने के पश्चात् निर्धारित तिथियों पर उम्मीदवारों द्वारा नाम–निर्देशन–पत्रों (नामिनेशन फॉर्म) को प्रस्तुत करने के साथ निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पादित कराने का पूरा दायित्व चुनाव अधिकारी (मुख्य अभियन्ता स्तर–2) का होगा, जो निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु निम्नलिखित निर्वाचन कार्मिकों की नियुक्ति करेगाः–

(i) प्रभागीय/खण्डीय चुनाव अधिकारी, जो खण्ड पर कार्यरत अधिशासी अभियन्ता होंगे; (नियुक्ति प्रारूप **परिशिष्ट**–35)

(ii) निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग अधिकारी), जो खण्ड पर कार्यरत अधिशासी अभियन्ता होंगे; (नियुक्ति प्रारूप **परिशिष्ट**–36)

(2) प्रभागीय/खण्डीय चुनाव अधिकारी द्वारा सहायक निर्वाचन अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान अधिकारियों की नियुक्ति निम्नानुसार की जाएगीः–

(i) **सहायक निर्वाचन अधिकारीः–** (क) समिति–वार सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति निम्नानुसार की जाएगीः–

क्र0	समिति	सहायक निर्वाचन अधिकारी
1.	कुलाबा समिति	अवर अभियन्ता अथवा समकक्ष
2.	अल्पिका समिति	सहायक अभियन्ता अथवा समकक्ष

(ख) रजबहा एवं शाखा समिति के निर्वाचन हेतु सामान्यतः सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। किसी अपरिहार्य स्थिति में चुनाव अधिकारी की पूर्वानुमति से ही सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी।

(ii) सेक्टर मजिस्ट्रेटः–सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति निम्नानुसार की जाएगी–

क्र0	समिति	सेक्टर मजिस्ट्रेट
1.	कुलाबा समिति एवं अल्पिका समिति	अवर अभियन्ता अथवा समकक्ष
2.	रजबहा एवं शाखा	सहायक अभियन्ता अथवा समकक्ष

(iii) **पीठासीन/मतदान अधिकारीः–** पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के पद पर ऐसे सरकारी सेवकों की नियुक्ति की जाएगी, जो सिंचाई विभाग के सींचपाल से निम्न श्रेणी के कर्मचारी नहीं होंगे।

(3) खण्डीय चुनाव अधिकारी द्वारा निर्वाचन के प्रबन्धन हेतु निर्वाचन कार्यों का बंटवारा **परिशिष्ट**–38 के अनुसार किया जाएगा।

(4) खण्डीय चुनाव अधिकारी द्वारा निर्वाचन को सम्पन्न कराने हेतु सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति **परिशिष्ट–37** के प्रारुप पर, सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति **परिशिष्ट–39** के प्रारुप पर, रिजर्व सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति **परिशिष्ट–40** के प्रारुप पर, मतदान दल का गठन **परिशिष्ट–41** के प्रारुप पर, रिजर्व मतदान दल का गठन **परिशिष्ट–42** के प्रारुप पर तथा गणना पर्यवेक्षकों एवं सहायकों की नियुक्ति **परिशिष्ट–43** के प्रारुप पर की जाएगी।

अध्याय–8
निर्वाचन से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य

चुनाव अधिकारी के कर्तव्य (संगठन के मुख्य अभियन्ता स्तर–2)

45. जल उपभोक्ता समितियों का निर्वाचन कराने में चुनाव अधिकारी के कर्तव्य निम्नवत् होंगेः–

(1) सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का सुचारू रूप से संचालन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना;

(2) निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु तिथियों का निर्धारण कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करना;

(3) खण्डीय चुनाव अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ शासन से दिलवाना;

(4) निर्वाचन कार्यक्रम को समाचार पत्रों में प्रकाशित करना (नोटिस जारी करना);

(5) उ0प्र0सहभागी सिंचाई प्रबन्धन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 के अनुलग्नक–ग के प्रस्तर–7 (संशोधित) के अनुसार खण्डीय चुनाव अधिकारी को सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों द्वारा अपेक्षित सहायता प्रदान करने हेतु शासन स्तर से आदेश निर्गत कराना;

(6) राज्य निर्वाचन आयोग से मतपेटी, अमिट स्याही एवं अन्य निर्वाचन सामग्री प्राप्त करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग से आदेश निर्गत कराना;

(7) खण्डीय चुनाव अधिकारी एवं निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करना;

(8) मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना;

(9) मतदान स्थल, सुरक्षा व्यवस्था, निर्वाचन कार्मिकों एवं वाहनों की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही करना;

(10) मतदान पूर्ण होने के बाद तत्सम्बन्धी सूचना प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं मुख्य चुनाव अधिकारी व शासन को उपलब्ध कराना;

(11) प्रमुख अभियन्ता एवं मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा निर्वाचन की देख–रेख के लिए नियुक्त प्रेक्षकों को पूरी मतदान प्रक्रिया की जानकारी देना तथा उनके क्षेत्रीय भ्रमण आदि के लिए व्यवस्था करना;

(12) मतपत्रों की छपाई करवाकर खण्डीय चुनाव अधिकारी को उपलब्ध कराना।

(13) राज्य निर्वाचन आयोग से अमिट स्याही प्राप्त कर खण्डीय चुनाव अधिकारी को उपलब्ध कराना।

उप–चुनाव अधिकारी के कर्तव्य (मण्डल के

46. जल उपभोक्ता समितियों का निर्वाचन कराने में उप–चुनाव अधिकारी के

अधीक्षण अभियन्ता) कर्तव्य निम्नवत् होंगेः–

(1) खण्डीय चुनाव अधिकारियों से निर्वाचन की सूचना जारी कराना तथा निर्वाचन तिथियों का प्रचार–प्रसार करवाना;

(2) मतदान स्थल, निर्वाचन कार्मिक, वाहन, सुरक्षा व्यवस्था आदि की स्थिति का आंकलन करना तथा इस निमित्त आख्या चुनाव अधिकारी को देना;

(3) निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता का अनुश्रवण करना तथा इस बावत आख्या चुनाव अधिकारी को देना;

(4) नामांकन, नाम वापसी, संवीक्षा (स्क्रूटनी) एवं अन्य निर्वाचन गतिविधियों का सतत् अनुश्रवण करना तथा उसकी आख्या चुनाव अधिकारी को देना।

प्रभागीय/खण्डीय चुनाव अधिकारी के कर्तव्य (अधिशासी अभियन्ता)

47. जल उपभोक्ता समितियों का निर्वाचन कराने में खण्डीय चुनाव अधिकारी के कर्तव्य निम्नवत् होंगेः–

(1) निर्वाचन की तिथियों की नोटिस जारी करना तथा उसका व्यापक प्रचार–प्रसार करना;

(2) निर्वाचन कार्य सुगमतापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन कार्यों को सहायक अभियन्ताओं के मध्य आवंटित करना;

(3) मतदान स्थल तथा मतगणना केन्द्र का निर्धारण करना;

(4) निर्वाचन हेतु सामग्री की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करना;

(5) सहायक निर्वाचन अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों एवं गणना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना;

(6) निर्वाचन/सहायक निर्वाचन अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा मतदान दल को निर्वाचन सामग्री समय से उपलब्ध कराना;

(7) मतगणना केन्द्र पर प्रकाश, फर्नीचर, पानी, शामियाना तथा माइक आदि की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करना एवं मतगणना की कार्यवाही करना;

(8) परिणाम की एक प्रति चुनाव अधिकारी तथा मुख्य चुनाव अधिकारी सिंचाई विभाग को उपलब्ध कराना;

(9) मतगणना पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन से सम्बन्धित अभिलेखों को पूर्ण अभिरक्षा में सुरक्षित रखना;

(10) जिलाधिकारियों से सहायता प्राप्त कर निर्वाचन कार्मिक, वाहन, मतदान स्थल एवं सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था करना;

(11) निर्वाचन परिणाम को प्रकाशित करना।

(11) उ0प्र0सहभागी सिंचाई प्रबन्धन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 के के प्रस्तर–110 (संशोधित) के अनुसार निर्वाचन विवादों की सुनवाई करना।

निर्वाचन/ सहायक निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्य

48. जल उपभोक्ता समितियों का निर्वाचन कराने में निर्वाचन/सहायक निर्वाचन अधिकारियों के कर्तव्य निम्नवत् होंगेः–

(1) निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नाम निर्देशन–पत्रों को प्राप्त करना तथा उम्मीदवारों से जमानत की धनराशि जमा कराना;

(2) प्रस्तुत किए गए नाम निर्देशन–पत्रों की संवीक्षा (स्क्रूटनी) किया जाना;

(3) किसी भी नाम–निर्देशन–पत्र को निरस्त करने के लिए समुचित एवं पर्याप्त कारणों का संक्षेप में उल्लेख करना एवं निरस्त किए गए नाम–निर्देशन–पत्रों की सूची तैयार करना;

(4) उम्मीदवारों द्वारा नाम वापसी की व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य;

(5) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचन–प्रतीक आवंटित करना;

(6) उम्मीदवारी वापस लेने के बाद सही पाए गए नाम–निर्देशन–पत्रों, निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार/उम्मीदवारों तथा निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करना;

(7) मतदान दलों को प्रशिक्षण/पूर्वाभ्यास कराना;

(8) मतदान दलों को मतदान तथा अन्य निर्वाचन सामग्री उपलब्ध कराना;

(9) मतदान दलों की समय से रवानगी कराना;

(10) मतदान पर्यवेक्षण करना;

(11) मतदान सम्पन्न होने के उपरांत मतपेटियों को निर्धारित स्थल पर सुरक्षित रखवाना तथा दरवाजे पर ताला लगाना एवं उपस्थित उम्मीदवारों/नामित अभिकर्ताओं के सामने मुहरबन्द कराना।

अध्याय–9
निर्वाचन की तैयारी

निर्वाचन (तिथियां) कार्यक्रम

49(1) चुनाव अधिकारी द्वारा कुलाबा/अल्पिका/रजबहा/शाखा समिति का निर्वाचन कराने का कार्यक्रम **(परिशिष्ट–46)** पर तैयार कर निदेशक, पिम को प्रेषित किया जाएगा।

(2) निदेशक, पिम निर्वाचन कार्यक्रम पर मुख्य चुनाव अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्ताव शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित करेंगे।

(3) निर्वाचन कार्यक्रम (तिथियां) पर शासन का अनुमोदन प्राप्त होने पर चुनाव अधिकारी द्वारा निर्वाचन सम्पन्न कराया जाएगा।

निर्वाचन की अधिसूचना

50(1) शासन द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम (तिथियों) अनुमोदित होने के पश्चात् चुनाव अधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना समाचार–पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। अधिसूचना का प्रारूप **(परिशिष्ट–47)** के अनुसार होगा।

(2) निर्वाचन के विभिन्न कार्यक्रमों की तिथियाँ निम्न आधार पर निर्धारित की जाएगी–

(i) नामांकन पत्र दाखिल करने की अन्तिम तिथि निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से चार दिन पूर्व और 7 दिन पश्चात्, अवकाश को छोड़कर, नहीं होगी।

(ii) नामांकन पत्रों की संवीक्षा नामांकन की अन्तिम तिथि के अगले दिन, अवकाश को छोड़कर, की जाएगी।

(iii) नामांकन वापस लेने की अन्तिम तिथि व समय संवीक्षा की अन्तिम तिथि से सातवें दिन अपरान्ह 3:00 बजे तक होगी।

(iv) मतदान की तिथि नामांकन वापस लेने की अन्तिम तिथि से 15 दिन पूर्व नहीं होगी।

(3) अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् खण्डीय चुनाव अधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम का प्रकाशन खण्डीय कार्यालय, ग्राम पंचायतों एवं अन्य स्थानों पर किया जाएगा। प्रकाशन नाम निर्देशन प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि से पूर्व करना अनिवार्य होगा। निर्वाचन कार्यक्रम का सम्यक् प्रचार–प्रसार किया जाएगा।

अध्याय–10
निर्वाचन प्रक्रिया का प्रारम्भ

नाम निर्देशन–पत्र प्राप्त करना (नामांकन)

51. (1) चुनाव अधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना जारी किए जाने के उपरान्त निर्वाचन कार्यक्रम विभिन्न पदों, स्थानों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के साथ प्रारम्भ होगा। निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित पदों के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे:–

(i) कुलाबा सब कमाण्ड का सदस्य

(ii) आल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका पहुँच का सदस्य

(iii) रजबहा पहुँच का सदस्य

(iv) शाखा पहुँच का सदस्य

(2) नाम निर्देशन–पत्रों के प्रारूप पर्याप्त संख्या में रखे जाएंगे। निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी नाम निर्देशन–पत्र प्राप्त करने के नियत दिनांक के पूर्व पर्याप्त संख्या में इन प्रारूपों की व्यवस्था करा ली जाएगी। एक अभ्यर्थी एक पद के लिए केवल एक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। नाम–निर्देशन–पत्रों के प्रारूप का नमूना **(परिशिष्ट–48)** पर प्रदर्शित है। नाम निर्देशन पत्र नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) नाम निर्देशन–पत्र उपलब्ध कराने वाले कार्यालय पर निर्वाचक नामावली की अधिकृत प्रति तथा भू–धारकों की सूची उपलब्ध होना आवश्यक है, जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकता है।

(4) नाम निर्देशन–पत्र, चुनाव अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय और स्थल पर, निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी को ही प्रस्तुत हो सकेगा नामांकन पत्र प्राप्त करने हेतु नामांकन स्थल/स्थलों का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि नामांकन प्रस्तुत करने हेतु प्रत्याशियों को अधिक से अधिक सुगमता प्राप्त हो सके।

(5) नाम निर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने तथा वापसी का समय अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाता है। नाम निर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने या नाम वापस लेने के निर्दिष्ट समय तक जो अभ्यर्थी, निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में उपस्थित हो चुके हों किन्तु नाम निर्देशन–पत्र या उनकी वापसी की सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में समय लग रहा हो, उस समय तक उस कक्ष में आ चुके हो, उन्हें पर्ची दी जाएगी और केवल ऐसे अभ्यर्थियों को ही नाम निर्देशन–पत्र जमा करने या उनकी वापसी की सुविधा प्रदान की जाएगी।

(6) नाम निर्देशन के समय और निर्धारित स्थल पर, जहाँ वे प्राप्त किए जा रहे हों, पर निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी की लगातार उपस्थिति आवश्यक है।

(7) नाम निर्देशन–पत्रों को अभ्यर्थी स्वयं प्रस्तुत कर सकता है। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, निर्वाचित किए जाने के लिए अर्ह है। नाम निर्देशन के साथ निर्वाचक नामावली के सम्बन्धित

अंश की प्रतिलिपि लिया जाना अनिवार्य है।

(8) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा से नीचे के अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन–पत्र के साथ जाति प्रमाण–पत्र/गरीबी रेखा के नीचे होने का प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि लिया जाना अनिवार्य है।

(9) नाम निर्देशन–पत्र जैसे ही प्रस्तुत किए जाएं उसे प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन–पत्र पर क्रम संख्या, प्राप्त करने की तारीख और समय अंकित किया जाएगा।

(10) निर्वाचन अधिकारी/ सहायक निर्वाचन अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है, कि निर्वाचक नामावली में किसी अभ्यर्थी के नाम अथवा किसी अन्य अंकन में कोई लिपकीय त्रुटि हो, तो उसी समय उम्मीदवार को बताकर ठीक करवा लिया जाए।

(11) अभ्यर्थी द्वारा अपना नाम साफ–साफ लिखा जाएगा जिससे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने में गलती न हो सके।

(12) नाम निर्देशन पत्र उपलब्ध कराते समय निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी से यह प्रमाण–पत्र **(परिशिष्ट–51)** प्राप्त किया जाएगा कि उस पर जल शुल्क व भू–राजस्व विगत तीन वर्षों से बकाया नहीं है।

(13) अभ्यर्थी एवं उसके प्रस्तावक के हस्ताक्षर सम्बन्धित ग्राम प्रधान अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हों। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी एवं उसके प्रस्तावक द्वारा मतदाता पहचान पत्र की प्रति अथवा अन्य अभिलेख, जिससे निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी संतुष्ट हो सके, भी दिया जा सकता है।

(14) नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ–पत्र **(परिशिष्ट–52)** भी प्रत्याशी द्वारा भरा जाएगा।

(15) गरीबी रेखा के नीचे के प्रत्याशी से उसका प्रमाण (अभिलेख) प्राप्त किया जाएगा।

(16) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका, रजबहा एवं शाखा समिति के सदस्य के नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशी द्वारा भू–धारक होने का प्रमाण/अभिलेख दिया जाना अनिवार्य होगा। भू–धारक का प्रमाण प्राप्त न होने पर नामांकन नहीं किया जाएगा।

(17) अभ्यर्थी द्वारा यह प्रमाण–पत्र **(परिशिष्ट–53)** लिया जाएगा कि उसने प्रश्नगत कुलाबा सब–कमाण्ड/अल्पिका रीच/ रजबहा रीच/ शाखा रीच के अतिरिक्त अन्यत्र किसी जगह के लिए नामांकन पत्र नहीं भरा है।

जमानत धनराशि

52(1) नाम निर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक उम्मीदावार के लिए यह आवश्यक है, कि वह निम्नानुसार निर्धारित धनराशि जमानत के रूप में निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास तत्काल जमा करा दें।

जल उपभोक्ता समिति का नाम	सामान्य अभ्यर्थी	गरीबी रेखा से नीचे अथवा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी
कुलाबा समिति	200	50
अल्पिका समिति	1000	250
रजबहा समिति	2000	500
शाखा समिति	2500	625

(2) नाम निर्देशन–पत्र प्राप्त करने पर निर्वाचन अधिकारी/ सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र में संलग्न अभ्यर्थी की प्रति के साथ जमानत धनराशि जमा करने की रसीद **(परिशिष्ट–49)** और नाम–निर्देशन–पत्र की संवीक्षा के लिए नियत दिन, समय, स्थान की सूचना निर्धारित प्रारूप पर **(परिशिष्ट–50)** दी जाएगी।

नाम निर्देशन पत्रों का प्रकाशन

53. निर्वाचन अधिकारी द्वारा नाम–निर्देशन प्राप्त होने की सूचना, नाम निर्देशन–पत्र प्राप्त करने के स्थान के बाहर, सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाएगा। नाम निर्देशन प्राप्त होने की सूची निर्धारित प्रारूप **(परिशिष्ट–54)** में तैयार की जाएगी।

नाम निर्देशन–पत्रों की संवीक्षा (स्क्रूटनी)

54. (1) नाम निर्देशन–पत्रों की संवीक्षा (स्क्रूटनी) नियत दिनांक एवं समय पर प्रारम्भ कर दी जाएगी। संवीक्षा के दौरान निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी और उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के अतिरिक्त निम्नांकित व्यक्ति उपस्थित रह सकते है,–

(क) अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता; अथवा

(ख) अभ्यर्थी द्वारा लिखित में प्राधिकृत अन्य एक मतदाता।

(2) अभ्यर्थी को समस्त पदों के नाम निर्देशन–पत्रों के अवलोकन की समुचित सुविधा दी जा सकती है।

(3) नाम निर्देशन–पत्रों को निम्नलिखिति आधार पर अस्वीकृत किया जा सकता है :–

(क) उम्मीदवार उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम, 1947 यथा संशोधित 1994 की धारा–'5क' **(परिशिष्ट–52)** के अधीन उम्मीदवारी के अयोग्य हैं;

(ख) निर्वाचन नामावली में अभ्यर्थी का नाम नहीं है;

(ग) अभ्यर्थी द्वारा जल शुल्क एवं भू–राजस्व गत तीन वर्षो से बकाया नही होने का प्रमाण–पत्र नही दिया गया है;

(घ) अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अँगूठा प्रामाणित नहीं हैं या कपट द्वारा प्राप्त किए गए है;

(ड़) प्रत्याशी द्वारा जमानत की धनराशि जमा नहीं की गई है;

(च) अल्पिका, रजबहा एवं शाखा समिति के प्रत्याशी द्वारा

भू–धारक होने का प्रमाण/अभिलेख नहीं दिया गया है।

(छ) शपथ–पत्र जमा नहीं किया गया है;

(ज) एक से अधिक पदों हेतु नामांकन पत्र न भरने का प्रमाण–पत्र नही दिया गया है।

(4) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक कुलाबा सब कमाण्ड/अल्पिका रीच/रजबहा रीच/शाखा रीच के सदस्य के निर्वाचन का प्रत्याशी नही हो सकता है।

नाम निर्देशन पत्रों पर आपत्तियाँ

55. (1) निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नाम निर्देशन के बारे में समाधान कर लें कि नाम–निर्देशन पत्र विधि मान्य है। यदि नाम निर्देशन–पत्र के सम्बन्ध में कोई आपत्ति की जाती है तो विनिश्चय करने के लिए संक्षिप्त जॉच करनी चाहिए। यदि निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रथम दृष्टया उस आपत्ति को खारिज नहीं कर रहा है, तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी को उसके खण्डन का अवसर देना चाहिए और समय मांगने पर अधिक से अधिक अगले दिन अथवा नाम वापसी के लिए निर्धारित समय तक का समय दिया जा सकता है। निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक आपत्ति पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करना अनिवार्य होगा।

(2) यह ध्यान रखा जाएगा कि किसी आपत्ति के तथ्यों को सिद्ध करने की जिम्मेदारी सामान्यता आपत्तिकर्ता पर होती है। सुसंगत निर्वाचक नामावली, उम्मीदवार के निर्वाचन में खड़े होने के अधिकार के सम्बन्ध में निश्चयात्मक साक्ष्य होगी, जब तक कि यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि अभ्यर्थी अनर्ह है। **संवीक्षा में किसी लिपिकीय मुद्रण सम्बन्धी भूल या ऐसी त्रुटि, जो सारभूत किस्म की नहीं है, पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।** सामान्यतया अभ्यर्थियों को यथा संभव निर्वाचन में खड़े होने का अवसर देना चाहिए। कोई नाम निर्देशन–पत्र मात्र इस आधार पर कदापि अस्वीकार न किया जाए कि संवीक्षा के समय उम्मीदवार उपस्थित नहीं है।

(3) आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् प्रत्येक नाम निर्देशन–पत्र पर उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने सम्बन्धी विनिश्चय अभिलिखित किया जाएगा यदि नाम निर्देशन–पत्र अस्वीकार करने का निर्णय हो तो उसके कारणों का संक्षिप्त विवरण भी लिखा जाएगा।

विधिमान्य नाम निर्देशन पत्रों का प्रदर्शन

56. समस्त नाम निर्देशन–पत्रों की संवीक्षा कर लिए जाने तथा उन्हे स्वीकार या अस्वीकार करने सम्बन्धी विनिश्चय को अभिलिखित करने के ठीक पश्चात निर्वाचन अधिकारी उन अभ्यर्थियों की, जिनके नाम निर्देशन–पत्र स्वीकार कर लिए गए है, की सूची तैयार करेगा और संवीक्षा समाप्त होने के ठीक पश्चात् उस सूची को अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा। इस सूची में अभ्यर्थियों के नाम वर्णानुक्रम में (अर्थात् हिन्दी वर्ण माला के अक्षरों **(परिशिष्ट–55)** के क्रम में) लिखे जाएंगे। ऐसे विधि–मान्य नाम–निर्देशित अभ्यर्थियों की सूची **(परिशिष्ट–56)** में तैयार की जाएगी।

नाम निर्देशन की वापसी

57. (1) कोई भी अभ्यर्थी लिखित नोटिस द्वारा अपना नाम वापस ले सकता है। नोटिस में उसके हस्ताक्षर/अँगूठा होंगे। लिखित नोटिस निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी को उम्मीदवार द्वारा नाम वापसी के लिए नियत दिनांक व समय के बीच में दी जाएगी। एक बार अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना देने के बाद, ऐसी सूचना को वापस नहीं लिया जा सकेगा। उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना **(परिशिष्ट–57)** पर सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

(2) उम्मीदवारी से नाम वापस लिए जाने की सूचना पर निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसकी प्रामाणिकता का समाधान कर लेना चाहिए।

अभ्यर्थिता वापस लेने वाले अभ्यर्थियों का प्रदर्शन

58. जिन अभ्यर्थियों ने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली हो, उनकी सूची निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी। यह सूची **(परिशिष्ट–58)** में दिए गए प्रारूप में होगी।

जमानत धनराशि की वापसी

59. जमानत धनराशि की वापसी निम्नानुसार की जाएगी–

(1) यदि किसी प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र वापस ले लिया जाए तो जमानत धनराशि तत्काल वापस कर दी जाएगी।

(2) किसी प्रत्याशी के निर्वाचित न होने और उसे डाले गए कुल वैध मतों का 33 प्रतिशत से अधिक मत न प्राप्त होने की दशा में जमानत धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी।

(3) यदि कोई प्रत्याशी निर्वाचित हो जाता है और उसे कुल वैध मतों का 33 प्रतिशत से कम मत प्राप्त होता है तो ऐसी दशा में जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी।

(4) निर्वाचन परिणाम घोषित होने के उपरान्त उपचुनाव अधिकारी द्वारा जमानत की धनराशि वापस करने अथवा जब्त किए जाने विषयक आदेश पारित किए जाएंगे।

(5) जमानत की धनराशि, जब्त न करने की दशा में, निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर प्रत्याशी को वापस कर दी जाएगी।

(6) किसी प्रत्याशी की मृत्यु की दशा में जमानत की धनराशि उसके अर्ह या कानूनी उत्तराधिकारी को वापस की जाएगी।

(7) जमानत की जब्तशुदा धनराशि रिटर्निंग आफिसर द्वारा सरकार के पक्ष में मद ''0700 मुख्य सिंचाई–13 सिंचाई विभाग की अन्य परियोजनाएं–800 अन्य प्राप्तियाँ'' में जब्त किए जाने के आदेश की तिथि से अधिकतम 01 माह में जमा कर दी जाएगी।

चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों का प्रदर्शन

60. अभ्यर्थिता वापस लेने का समय समाप्त होने के तत्काल पश्चात् निर्वाचन हेतु खड़े होने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। निर्वाचन हेतु खड़े होने वाले अभ्यर्थियों का आशय उन अभ्यर्थियों से है जिनके नाम संवीक्षा में वैध

पाए गए है और जिन्होंने निर्धारित समय में अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है। यह सूची वर्णमाला (हिन्दी देव नागरी अक्षरों) के क्रम में तैयार की जाएगी तथा (**परिशिष्ट–59**) पर अंकित कर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी।

निवार्चन–प्रतीकों का आवंटन

61. (1) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार होते ही अभ्यर्थियों को हिन्दी वर्णमाला (हिन्दी देवनागरी अक्षरों) के क्रम में (वर्णक्रम **परिशिष्ट–55** पर उपलब्ध है) निर्वाचन प्रतीक आवंटित किए जाएगें। निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी, प्रतीकों को सभी उम्मीदवारों को अवंटित करेंगे। चूँकि जल उपभोक्ता समितियों के निर्वाचन राजनीतिक दलों के आधार पर नहीं लड़े जाते हैं, अतः अभ्यर्थियों को निर्वाचन/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट–60** पर अंकित निर्वाचन प्रतीको में से ही आवंटित किए जाएंगे।

(2) निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी अथवा उसके चुनाव अभिकर्ता को आवंटित प्रतीक का नमूना उपलब्ध कराया जाएगा तथा प्रतीक की प्राप्ति के साक्ष्य हेतु इस बाबत पंजिका में हस्ताक्षर प्राप्त किया जाएगा।

निर्विरोध निर्वाचन

62. (1) जल उपभोक्ता समिति के किसी निर्वाचन क्षेत्र से नाम वापसी के बाद यदि निर्वाचन लड़ने वाला एक ही उम्मीदवार रहता है अथवा किसी निर्वाचन क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार द्वारा नाम निर्देशन–पत्र दाखिल किया जाता है, तो खण्डीय चुनाव अधिकारी ऐसे उम्मीदवार को सम्यक् निर्वाचित घोषित करेगा।

(2) निर्विरोध निर्वाचन से सम्बन्धित घोषणा नाम वापसी के बाद खण्डीय चुनाव अधिकारी द्वारा की जाएगी तथा उसकी सूचना उप–चुनाव अधिकारी एवं चुनाव अधिकारी को दी जाएगी।

(3) खण्डीय चुनाव अधिकारी ऐसे निर्वाचित घोषित उम्मीदवारों के नाम और उनके स्थानों, जिन पर वे निर्वाचित हुए हैं, की सूचना जिलाधिकारी तथा सम्बन्धित सदस्य को देंगें।

(4) निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों को, परिणाम घोषणा के तुरन्त बाद, प्रमाण–पत्र (**परिशिष्ट–61**) उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु यह आवश्यक है कि प्रमाण–पत्र की छपाई पहले से ही करा दी जाए।

(5) निर्विरोध निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तिथि से अधिकतम 01 माह के अन्दर जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी।

मतदान स्थल/केन्द्र

63. (1) मतदान, प्रस्तर–.13, 14, 35 एवं 36 के अनुसार मतदाता सूची हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों/स्थलों पर सम्पन्न कराया जाएगा।

(2) निर्वाचन के समय मतदान केन्द्र/स्थल में किसी प्रकार का परिवर्तन चुनाव अधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकता है।

मतदान सामग्री की व्यवस्था

64. (1) प्रत्येक मतदान दल को निर्वाचन कराने के लिए आवश्यक मात्रा में निर्वाचन सामग्री खण्डीय चुनाव अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। खण्डीय चुनाव अधिकारी द्वारा पूर्व में ही अपने कार्य क्षेत्र हेतु निर्वाचन सामग्री की कितनी आवश्यकता पड़ेगी इसका अनुमान लगा कर इसकी व्यवस्था कर ली

जानी चाहिए। क्षेत्र स्तर पर नियुक्त सहायक निर्वाचन अधिकारी को भी अपने क्षेत्र में आने वाले मतदान स्थलों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन सामग्री की आवश्यकता का अनुमान लगाने के बाद आवश्यक सामग्री खण्डीय चुनाव अधिकारी से प्राप्त कर लेनी चाहिए। एक मतदान टोली के लिए अपेक्षित मतदान सामग्री का विवरण **(परिशिष्ट–45)** पर अंकित है।

(2) प्रत्येक मतदान स्थल के लिए गोदरेज टाइप की मतपेटी प्रयोग में लाई जाएगी। खण्डीय चुनाव अधिकारी का दायित्व होगा कि वह जिला निर्वाचन कार्यालय से मतपेटियाँ प्राप्त करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि मतपेटियाँ अच्छी हालत में हैं तथा आसानी से उपयोग में लायी जा सकने योग्य हैं। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी भी मतदान दल की मतपेटी दोषपूर्ण (डिफेक्टिव) न हो।

(3) सामान्यतः निर्वाचन सामग्री मतदान दल को निर्वाचन आरम्भ होने के 2 या 3 दिन पूर्व दी जाती है। खण्डीय चुनाव अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह मतदान के आखिरी प्रशिक्षण, जो मतदान के 2 या 3 दिन पूर्व होता है, के दौरान निर्वाचन सामग्री वितरित करा दे तथा यह सुनिश्चित कर लें कि सभी मतदान दलों को आवश्यक मात्रा में निर्वाचन सामग्री उपलब्ध करा दी गयी है। कुछ अतिरिक्त निर्वाचन सामग्री के थैले सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी उपलब्ध करा दिए जाएं ताकि किसी मतदान दल के पास किसी आइटम की कमी पड़ जाती है तो वह सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा आपूर्ति की जा सके।

(4) पीठासीन अधिकारी को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो निर्वाचन सामग्री दी जा रही है वह उपयोग के योग्य है, क्योंकि खण्डीय चुनाव अधिकारी का कार्यालय छोड़ने के बाद मतदान स्थल पर निर्वाचन सामग्री के बदले जाने का कोई अवसर नहीं रह जाता है और यह सम्भव हो सकता है कि सामग्री के अभाव में निर्वाचन कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो जाए।

मतपत्र

65. (1) सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली–2010 के अन्तर्गत निर्वाचन कराने की प्रक्रिया के नियम 59 द्वारा कुलाबा सब कमाण्डों तथा अल्पिका/रजबहा/शाखा रीचों हेतु मतपत्रों के रंग निम्नवत् होगें :–

(i) कुलाबा सब–कमाण्ड – 1 सफेद

(ii) कुलाबा सब–कमाण्ड – 2 पीला

(iii) कुलाबा सब–कमाण्ड – 3 लाल–भूरा

(iv) कुलाबा सब–कमाण्ड – 4 आसमानी

(v) कुलाबा सब–कमाण्ड – 5 गुलाबी

(vi) कुलाबा सब–कमाण्ड – 6 हरा

(vii) अल्पिका/ रजबहा/ शाखा शीर्ष रीच– पीला

(viii) अल्पिका/ रजबहा/ शाखा मध्य रीच– सफेद

(ix) अल्पिका/ रजबहा/ शाखा टेल रीच– गुलाबी

(2) मतपत्रों के पीछे लगाई जाने वाली मुहर अथवा छपाई का प्रारूप निम्नवत् होगा,–

(क)	कुलाबा समिति का मतपत्र	खण्ड का नाम..... अल्पिका का नाम..... कुलाबे की संख्या..... कुलाबा उप कमांड की संख्या.....
(ख)	अल्पिका समिति का मतपत्र	खण्ड का नाम..... अल्पिका का नाम..... अल्पिका पहुंच का नाम ..... (शीर्ष/मध्य/टेल)
(ग)	रजबहा का मतपत्र	खण्ड का नाम..... रजबहा का नाम..... रजबहा पहुंच का नाम..... (शीर्ष/मध्य/टेल)
(घ)	शाखा का मतपत्र	शाखा का नाम ..... शाखा पहुंच का नाम..... (शीर्ष/मध्य/टेल)

(3) मतपत्रों का प्रारूप–

(क) **कुलाबा समिति** के मतपत्रों का प्रारूप **परिशिष्ट–62** के अनुसार होगा।

(ख) **अल्पिका/रजबहा/शाखा समिति** के मतपत्रों का प्रारूप **परिशिष्ट–63** के अनुसार होगा। किसी रीच के प्रत्येक मतपत्र में उतने समरूप भाग होंगे जितने उस रीच में पद होंगे। प्रत्येक भाग पर मतपत्र संख्या एक ही होगी।

(4) निर्वाचक को मतपत्र जारी करने के पूर्व मतपत्र के पीछे अंकित खाली स्थान भर दिया जाए तथा मतपत्र के पीछे पीठासीन अधिकारी द्वारा पूरे हस्ताक्षर कर दिए जाएं।

(5) मतपत्रों के वितरण से पूर्व उस पर अनुक्रमांक लिखे होने अथवा अंकित होने को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। यह अनुक्रमांक मतपत्र तथा उसके प्रतिपर्ण पर एक समान होना चाहिए। अल्पिका/रजबहा/शाखा समिति के मतपत्रों के प्रत्येक भाग पर अनुक्रमांक एक ही होगा।

(6) मतदान दलों को मतपत्रों का वितरण उनकी रवानगी के दिन किया जाना चाहिए। प्रत्येक दशा में पीठासीन अधिकारियों को मतपत्र वितरण के स्थान से सीधे मतदान स्थलों को भेजा जाए और उनके साथ सुरक्षा गार्ड भी लगाए जाए।

(7) मतपत्र की छपाई चुनाव अधिकारी द्वारा मतपत्र की छपाई निर्धारित प्रारूप **(परिशिष्ट–62 एवं 63)** के अनुसार कराई जाएगी।

मतपेटियाँ

66. राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों के क्रम में निर्वाचन हेतु मतपेटियाँ खण्डीय चुनाव अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त की जाएगी। मतपेटियों के सम्बन्ध में निम्न बातें ध्यान में रखी जाएंगी :–

(1) जल उपभोक्ता समिति के निर्वाचन में गोदरेज टाइप की मतपेटिया प्रयोग में आएंगी;

(2) निर्वाचन के प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारियों को मतपेटियों को प्रयोग

करने की विधि भली–भाँति बता देनी चाहिए;

(3) खण्डीय चुनाव अधिकारी का यह दायित्व है कि जिला निर्वाचन कार्यालय से मतपेटियाँ प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि सभी मतपेटियाँ ठीक हालत में है;

मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण

67. (1) खण्डीय चुनाव अधिकारी द्वारा मतदान कार्मिकों के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। प्रशिक्षण की व्यवस्था उस स्थान पर की जाएगी जहाँ पर प्रशिक्षण के लिए बुलाए गए मतदान कर्मी समुचित रूप से बैठ सकें। मतदान कार्मिकों को गहन प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त, अनुभवी एवं वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षक के रूप में चयन किया जाएगा। मतदान कार्मिकों को दो बार प्रशिक्षण कराया जाना अनिवार्य हैं।

(2) प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों की जिज्ञासा के सामाधान पर विशेष बल दिया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्न–उत्तर की प्रणाली अपनायी जा सकती है। प्रशिक्षण के समय नमूने के मतपत्रों का उपयोग किया जा सकता है।

(3) मतदान के पूर्वाभ्यास के समय पर्याप्त संख्या में मतपेटी रखी जाएं तथा प्रशिक्षार्थियों के छोटे–छोटे समूह बनाकर उनमें मतपेटियों को खोलने तथा बन्द करने का अभ्यास कराया जाए।

(4) मतदाता के पहचान के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत होने पर की जाने वाली जाँच की प्रक्रिया तथा निविदत्त (चैलेन्ज्ड) मत की स्थिति उत्पन्न होने पर की जाने वाली कार्यवाही को ठीक प्रकार से समझा दिया जाए।

(5) मतपत्र का लेखा तैयार करने की प्रक्रिया उदाहरण के साथ विस्तार से बतायी जाए।

(6) मतदान केन्द्र/स्थल तैयार कराने तथा पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों के कार्यो को ठीक प्रकार से बताया जाएगा।

(7) मतदाता द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया, मतपत्र मोड़ने की विधि आदि के साथ विभिन्न स्तर की जल उपभोक्ता समितियों के मतदाता के मताधिकार से सम्बन्ध में जानकारी दी जाएगी।

(8) मत डालने की प्रक्रिया के साथ विभिन्न प्रकार के लिफाफों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी दी जाएगी।

मतदान दल का गठन

68. (1) जल उपभोक्ता सामितियों के निर्वाचन हेतु प्रत्येक मतदान स्थल के लिए एक मतदान दल का गठन खण्डीय चुनाव अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सामान्यतः जितने मतदान स्थल होते हैं उनसे 5 से 10 प्रतिशत अधिक मतदान दलों के गठन की व्यवस्था की जाएगी। अतिरिक्त दल आरक्षित दलों के तौर पर किसी आकस्मिक या अप्रत्याशित घटना होने की स्थिति में प्रयोग में लाए जाएंगे। प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी तथा दो मतदान

अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। पीठासीन अधिकारियों का चयन प्रस्तर–44(2)(iii) के अनुसार किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी के लिए वरिष्ठ एवं अनुभवी कर्मचारी/अधिकारी का चयन किया जाए।

(2) पीठासीन अधिकारी की भाँति मतदान अधिकारियों का चयन सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। प्रथम मतदान अधिकारी को इस योग्यता/अनुभव का होना चाहिए जो पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का वहन कर सके।

(3) मतदान दल का गठन करते समय यथा सम्भव सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को लगाया जाए।

(4) मतदान दलों का गठन करते समय तथा मतदान स्थलों पर ड्यूटी लगाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखा जाएगा :–

(क) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जो निर्वाचन लड़ रहे किसी अभ्यर्थी के नजदीकी रिश्तेदार हों, को उस उम्मीदवार के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले मतदान स्थलों पर यथासंभव नियुक्त न किया जाय;

(ख) महिला मतदान अधिकारियों को छोड़कर अन्य किसी भी कर्मचारी को, उस क्षेत्र के मतदान स्थल पर नियुक्त न किया जाए, जिस क्षेत्र के अन्तर्गत वह निवास करता है।

मतदान स्थल की आंतरिक व्यवस्था

69. प्रत्येक मतदान स्थल पर एक मतदान कक्ष बनाया जाएगा जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के निर्वाचन अभिकर्ताओं द्वारा मतदान प्रक्रिया के सतत् अवलोकन हेतु बैठने की व्यवस्था की जाएगी। मतदाताओं को मतदान स्थल तक आने और मतदान के पश्चात् बाहर जाने के लिए अलग–अलग रास्ते भी निर्धारित किए जाएंगे। मतदान स्थल की आंतरिक व्यवस्था (**परिशिष्ट–44**) के अनुसार निर्धारित की जाएगी। परन्तु मतदान स्थल में उपलब्ध स्थान को ध्यान में रखते हुए इसमें यथाआवश्यक फेर–बदल किया जा सकता है।

मतदान अभिकर्ताओं हेतु स्थान

70. विभिन्न मतदान अभिकर्ताओं को मतदान स्थल के अन्दर बैठने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए और उनका स्थान यथासंभव प्रथम व द्वितीय मतदान अधिकारी के आस–पास होना चाहिए जिससे कि किसी मतदाता की पहचान के सम्बन्ध में यदि वे आपत्ति करना चाहें तो कर सकें। मतदान अभिकर्ताओं को मतपत्र का अनुक्रमांक नोट नहीं करने दिया जाएगा जिससे मतदान की गोपनीयता भंग न हो सके। पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि मतदान स्थल के भीतर धूम्रपान या मादक वस्तुओं का प्रयोग नहीं होने दें।

मतपेटियों को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में उम्मीदवार को अवगत कराना

71. (1) सम्बन्धित उम्मीदवारों को या उनके अभिकर्ताओं को यह अवगत कराया जाएगा कि जिस स्थान पर मत–पेटियाँ सुरक्षित रखी जाएंगी वहाँ के लिए यदि वे चाहें तो अपना कोई व्यक्ति भी साथ में भेज सकते हैं। परन्तु यह ध्यान रखा जाय कि ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं के निजी वाहन से जाएंगे तथा मतदान–दल

के साथ कोई उम्मीदवार या कोई व्यक्ति नहीं जाएगा;

(2) जिस कमरे में मत–पेटियाँ रखी जानी हैं वहाँ पर खड़िया से फर्श पर मतदान स्थल का क्रमांक डाला जाएगा जिससे कि उस मतदान स्थल की मतदान पार्टी जब वहाँ पहुँचे तो मतपेटियाँ उसी क्रमांक पर सुरक्षित रखी जा सकें;

(3) पीठासीन अधिकारी को मतदान की समाप्ति के बाद कुछ समय तक भी मत पेटियों को अपने पास रखने और विलम्ब से जमा करने की अनुमति नहीं है। पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसा किए जाने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है;

(4) यदि कोई उम्मीदवार किसी व्यक्ति को अधिकृत करना चाहता है कि जिस कमरे में पेटियॉ रखी जा रही है उस पर निगरानी रखें तो उसको ऐसी अनुमति दी जा सकती है। दरवाजे पर उसको सील लगाने की भी अनुमति दी जा सकती है। कमरा खोले जाने के समय उम्मीदवार या उनके अधिकृत अभिकर्ता को बुला लेना चाहिए और जब भी कमरा खोला जाना आवश्यक हो तो उसकी प्रविष्टि पंजिका में अंकित की जानी चाहिए।

(5) मतदान स्थल की रबर स्टैम्प, मतपत्र (बैलेट पेपर) पर निशान लगाने वाली सुभेदक चिन्ह तथा रबर मोहर एक लिफाफे में बंद और सील करके साथ में रखा जाएगा।

मताधिकार तथा मतदान का स्थगन

72**(1) मताधिकार**–प्रत्येक स्तर की जल उपभोक्ता समिति के निर्वाचन हेतु मतदाताओं का मत देने का अधिकार निम्नवत् होगा।

(क) कुलाबा समिति– प्रत्येक मतदाता को किसी एक कुलाबा सब–कमाण्ड में किसी एक ही प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का अधिकार होगा।

(ख) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/शाखा समिति–प्रत्येक मतदाता को किसी अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/शाखा रीच में उतने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने का अधिकार होगा जितने उस रीच में पद हैं अथवा जितने पदों हेतु निर्वाचन प्रस्तावित है।

(2) मतदान का स्थगन – मतदान का स्थगन केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है :–

(i) बाढ़ या भारी हिमपात या गंभीर तूफान या अन्य दैवी आपदा यदि मतदान के समय आ गयी हो जिससे मतदान कार्य प्रभावित हो;

(ii) मतपेटियों अथवा मतपत्रों या आवश्यक निर्वाचन सामग्री को भारी नुकसान पहुँच गया हो;

(iii) मतदान के समय मतदान स्थल पर इतनी शांति भंग हो गयी हो कि मतदान करना संभव न हो;

(iv) मतदान के समय मतदान केन्द्र/स्थल पर मतदान दल न पहुँच पाया

हो और उसके पहुँचने में रास्ते में कोई अपरिहार्य बाधा या रूकावट आ गयी हो;

(v) कोई अन्य पर्याप्त कारण।

(3) प्रस्तर 72(2) में उल्लिखित परिस्थितियों में मतदान की कार्यवाही, ऐसे दिनांक के लिए जो कि बाद में अधिसूचित की जाएगी, स्थगित कर दी जाएगी। जहाँ मतदान की कार्यवाही को इस प्रकार स्थगित कर दिया जाए वहॉ इसकी सूचना पीठासीन अधिकारी द्वारा सहायक निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी;

(4) किसी मतदान स्थल पर मतदान की कार्यवाही स्थगित किए जाने पर निर्वाचन अधिकारी उन परिस्थितियों की सूचना तुरन्त जिलाधिकारी एवं चुनाव अधिकारी को देगा। चुनाव अधिकारी नए मतदान का समय, स्थान व दिनांक नियत करेगा। चुनाव अधिकारी द्वारा मतदान स्थगन की सूचना तत्काल मुख्य चुनाव अधिकारी (प्रमुख अभियन्ता सिंचाई) को दी जाएगी;

(5) मतदान के दिन निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी यथा सम्भव अपने मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे। पीठासीन अधिकारी को भी पूर्व से यह ज्ञात होना चाहिए कि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी कहाँ उपलब्ध होंगे।

अध्याय–11
मतदान प्रबन्धन

पीठासीन अधिकारी

73. किसी मतदान स्थल हेतु नियुक्त मतदान अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी अपनी मतदान टोली का प्रभारी होगा। यदि कोई मतदान अधिकारी समय से ड्यूटी पर न पहुँचे अथवा गंभीर रूप से अस्वस्थ हो जाने के कारण कार्य करने की स्थिति में न रहे तो पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य होता है कि वह मतदान टोली के प्रस्थान करने से पूर्व निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से उपलब्ध आरक्षित (रिजर्व स्टाफ) मतदान अधिकारी में से उक्त मतदान अधिकारी का प्रतिस्थानी नियुक्त करवा लें। यदि मतदान स्थल पर कोई मतदान अधिकारी गंभीर अस्वस्थता या अन्य किसी अपिरिहार्य कारण से कार्य करने की स्थिति में न रहे तो आपात व्यवस्था के तौर पर मतदान अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) उपलब्ध किसी उपयुक्त व्यक्ति को मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है, परन्तु ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी जो जल उपभोक्ता समिति निर्वाचन से सम्बन्धित किसी अभ्यर्थी की ओर से कोई कार्य कर रहा हो।

पीठासीन अधिकारी के अधिकार

74. पीठासीन अधिकारियों को निम्नवत् अधिकार होंगेः–

(1) मतदाता की पहचान के लिए या अपनी मदद हेतु किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता प्राप्त करना;

(2) पुलिस कर्मी, ग्राम का चौकीदार या राजस्व विभाग के किसी कर्मचारी, जिनकी सहायता ली है, को मतदान स्थल के बाहर नियुक्त करना तथा आवश्यकता पड़ने पर ही, जब मतदाता की पहचान करनी हो, मतदान स्थल के अन्दर बुलाया जाना;

(3) मतदाता की पहचान उसकी पर्ची के आधार पर न करके मतदान अधिकारी के पास उपलब्ध मतदाता सूची के आधार पर करना;

(4) मतदान स्थल के भीतर केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को ही प्रवेश देना,–

(i) निर्वाचन/मतदान कार्य के पर्यवेक्षण हेतु तैनात अधिकारीगण;

(ii) चुनाव अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति;

(iii) उम्मीदवार, उनका निर्वाचन–अभिकर्ता तथा सम्बन्धित मतदान अभिकर्ता;

(iv) किसी मतदाता के साथ गोद में कोई बच्चा;

(v) नेत्रहीन अथवा विकलांग मतदाता के साथ उसकी सहायता करने वाला व्यक्ति;

(vi) पुलिस अथवा ड्यूटी पर लोक सेवक;

(viii) शासन द्वारा अधिकृत व्यक्ति।

(5) पुलिस अधिकारी (वर्दी में भी) को मतदान केन्द्र के अन्दर सामान्यतः नहीं आने देना, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर उनको अन्दर बुलाना;

(6) किसी मतदाता द्वारा हस्ताक्षर या निशानी अगूँठा लगाने से इन्कार करने पर

उसे मतपत्र नहीं दिया जाना;

(7) किसी मतदाता की पहचान पर की गई आपत्ति पर निर्णय देना।

नोटः– निर्वाचन ड्यूटी (कार्य) से सम्बन्धित अधिकारियों में केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्री व जनप्रतिनिधि सम्मिलित नहीं है।

पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य

75. पीठासीन अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगेः–

(1) मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व समस्त उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति दिखाना;

(2) निर्वाचन प्रारम्भ होने से पहले तथा निर्वाचन समाप्त होने के पश्चात् निर्धारित **घोषणा–पत्र** पर हस्ताक्षर करना;

(3) मतपत्र देने के पश्चात् मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में उसके नाम को रेखांकित करना तथा यदि मतदाता महिला हो तो उसके नाम के सामने सही का चिन्ह लगाना;

(4) मतदाता को मतपत्र दिए जाने से पूर्व मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाना;

(5) किसी मतदाता द्वारा मतपत्र पर सबके समाने निशान लगाने अथवा निशान लगाकर सबको दिखाने पर मतपत्र पर

''मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया अतः निरस्त''।

पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

76. मतदान स्थल पर पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी–

(1) मतदान स्थल पर किसी उपयुक्त दृष्टव्य स्थान पर निर्वाचक नामावली की एक प्रति मतदाताओं के अवलोकनार्थ प्रदर्शित की जाएगी।

(2) प्रत्येक मतपत्र और उसके प्रतिपर्ण (काउन्टर फाइल) पर मतपत्र का नम्बर अंकित रहेगा। मतपत्र जारी करते समय प्रतिपर्ण पर मतदाताओं के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लिए जाएंगे।

(3) मतपत्र के पीछे अंकित खाली स्थान भरा जाएगा और उसके नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

(4) मतदाता की बांई तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। कुलाबा समिति के मतदाता को उतने कुलाबा सब–कमाण्ड के मतपत्र दिए जाएंगे जितने कुलाबा सब–कमाण्ड की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित होगा।

(5) अल्पिका/रजबहा/शाखा समिति के मतदाता को मात्र उसी रीच का मतपत्र दिया जाएगा जिस रीच में वह मतदाता है।

(6) मतदाता द्वारा मतदान मतदान अधिकारी से प्राप्त रबर सील से मतदान किया जाएगा।

(7) मतदान स्थल पर अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता उपस्थित रह सकते है। कोई मतदान अभिकर्ता एक से अधिक

अभ्यर्थी का अभिकर्ता नहीं हो सकता है। यदि अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता के बैठने के लिए कुर्सियाँ या बेन्चें न हो तो दरी की व्यवस्था की जा सकती है।

(8) मतदान का समय प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक अथवा चुनाव अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समयानुसार होगा।

पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी हेतु सामान्य अनुदेश

77. मतदान स्थल पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना पीठासीन अधिकारी का परम कर्तव्य है। पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों हेतु सामान्य अनुदेश निम्नवत् हैं–

(1) नियुक्ति का आदेश प्राप्त होते ही जिस मतदान स्थल के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की गई है, उसकी स्थिति तथा वहाँ पहुँचने के मार्ग की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। नियुक्ति आदेश से उसे अपने मतदान दल के अन्य सदस्यों की भी जानकारी मिल जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान उनसे वह सीधे सम्पर्क और परिचय प्राप्त करें।

(2) मतदान के लिए आयोजित प्रशिक्षण में पूरी जिज्ञासा और जागरूकता के साथ भाग लें तथा अपनी शंका और समस्या का समाधान सम्बन्धित अधिकारी से करा लें।

(3) प्राप्त मतदान सामग्री और मतपेटिका का मिलान **परिशिष्ट–45** से कर लें ताकि कोई वस्तु/सामग्री छूटने न पाए।

(4) मतदान स्थल पर पहुँचने के पश्चात पीठासीन अधिकारी को सब कुछ ठीक–ठाक होने की स्थिति तथा प्राप्त सामग्री का निरीक्षण करना चाहिए। यदि किसी प्रकार की सामग्री या सूची की आवश्यकता हो तो उसे प्राप्त करने के लिए तुरन्त आवश्यक सूचना सेक्टर मजिस्ट्रेट अथवा सहायक निर्वाचन अधिकारी को दें।

(5) मतदान स्थल पर की जाने वाली व्यवस्था के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से रूप रेखा बना लें ताकि मतदान स्थल के अन्दर या बाहर भीड़ जमा न हो सके। मतदाताओं की कतारे ठीक से बनवा ली जाए जिससे मतदान, गोपनीयता का निर्वाह करते हुए, सुचारू रूप से चल सके। मतदान स्थल के अन्दर अनावश्यक भीड़ न हो इसके सम्बन्ध में अपने सहयोगियों से भी परामर्श लें और आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार पुलिस की भी सहायता प्राप्त करें।

(6) पीठासीन अधिकारी को मतदान शान्तिपूर्ण तथा सुचारू रूप से संचालन के लिए बराबर सजग रहना होगा। इसके लिए उसे कानून के अन्तर्गत महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पीठासीन अधिकारी से व्यवहार कुशलता के साथ दृढ़ता तथा निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है।

(7) मतदान दल को अपने कर्तव्यों के पालन में केवल चुनाव अधिकारी, उपचुनाव अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों का अनुसरण करना है।

(9) पीठासीन अधिकारी मतदाताओं को पहचानने के लिए या महिला मतदाताओं की सहायता के लिए ग्राम स्तरीय किसी कर्मचारी या महिला परिचायक को नियोजित कर सकते हैं, परन्तु उसे मतदान स्थल के प्रवेश द्वारा के बाहर ही बैठाएं और मतदान स्थल के अन्दर तभी बुलाएं जब किसी मतदाता विशेष को पहचानने के लिए या तलासी या अन्य किसी विशेष प्रयोजन के लिए उसकी आवश्यकता हो।

(10) मतदाताओं को अनुक्रमांक वार मतपत्र जारी करने के बजाय क्रम से हटकर जारी करना वांछनीय है ताकि कोई यह अंदाज न लगा पाए कि किस मतदाता को कौन से अनुक्रमांक का मतपत्र मिला और मतपत्रों की गोपनीयता बनी रहे। इसके लिए उपयोग में लाई जा रही गड्डी से मतपत्र सिलसिलेवार जारी न करते हुए बीच में कहीं से जारी किए जाएं। परन्तु मतदान के अन्तिम चरण में मतपत्र सिलसिलेवार ही जारी करना उपयुक्त होगा ताकि मतपत्र लेखा बनाने में कोई परेशानी न हो।

मतदान सामग्री

78. (1) प्रत्येक मतदान स्थल हेतु निम्न मतदान सामग्री की आवश्यकता होगी–

(i) **मतदाता सूची :–** प्रत्येक मतदान स्थल के लिए मतदाता सूची की चार प्रतियां, जो हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित होगी, दी जाएंगी। पीठासीन अधिकारी यह देख लें कि सभी प्रतियों में सभी प्रविष्टियों एक जैसी हैं तथा मतदाता सूची का जो भाग दिया है वह उसी मतदान स्थल की है जिस मतदान स्थल के लिए वह नियुक्त है। मतदाता सूची की चार प्रतियों में से एक प्रति मतदान अधिकारी क्रमांक–1 के पास रहेगी, एक प्रति मतदान अधिकार–2 के पास, एक प्रति पीठासीन अधिकारी के पास रहेगी तथा चौथी प्रति मतदान स्थल के ठीक बाहर उपयुक्त दृष्टव्य स्थान पर अलग अलग पन्नों के रूप में चिपका दी जाएगी।

(ii) **स्टाम्प पैड तथा अमिट स्याही की शीशी:–**मतदान सामग्री लेते समय यह देख लिया जाए कि अमिट स्याही की शीशी में स्याही पर्याप्त मात्रा में है तथा स्टाम्प पैड सूखा हुआ नहीं है।

(iii) **अभ्यर्थियों की सूचियाँ:–**प्रत्येक पद/स्थान पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की 3 प्रमाणित सूचियाँ पीठीसीन अधिकारी को दी जाएगी तथा अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी देवनागरी के वर्णक्रम के अनुसार इन सूचियों में अंकित होगा तद्नुसार ही उनके चुनाव चिन्ह भी दर्शाए जाएंगे। मतदान स्थल में पहुँचने पर उनमें से एक प्रति पीठासीन अधिकारी को मतदान स्थल के बाहर सूचना फलक पर लगानी होगी

तथा दूसरी प्रति मतदान स्थल के किसी सहज दृष्टव्य स्थान पर चस्पा की जाएगी।

(iv) **पेपर सील :–** मतपेटी को बन्द करने के लिए सादी पेपर सीलें दी जाएंगी। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि दी गई पेपर सीलें पर्याप्त संख्या में हैं।

(v) **मत डालने वाली रबर की मुहरः–** मतदाताओं को मत अंकित करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा (घूमते हुए तीरों से चिन्ह वाली) 4 रबर सीलें दी जाएंगी। सादे कागज पर इसका ठप्पा लगाकर यह देख लिया जाए कि वह सभी सीलें पूरी और साफ निशान (इम्प्रेशन) बनाती है।

(vi) **लिफाफे एवं शीट्स :–** विवरण **परिशिष्ट–45** में दिया गया है।

(vii) **मतपेटियाँः–** प्रत्येक मतदान स्थल हेतु एक मतपेटी दी जाएगी। पीठासीन अधिकारी यह जाँच लें कि मतपेटियों चालू हालत में है।

(viii) **मतपत्रः–** पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्वाचन हेतु निर्धारित प्रकार के मतपत्रों की गड्डियाँ ही उन्हें प्राप्त हुई हैं और उनमें मतपत्रों की संख्या मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं की संख्या से कम नहीं है। मतदान से पूर्व यह भी देख लिया जाए कि उनके अनुक्रमांक दिए गए विवरणों से मेल खाता हैं। प्रत्येक प्रकार के मतपत्रों की गड्डी के हर मतपत्र तथा उसके प्रतिपर्ण पर मुद्रित अनुक्रमांक का मिलान करके देख लें कि वह एक ही है। इसी प्रकार यह भी देख लिया जाए कि प्रत्येक मतपत्र में चुनाव चिन्ह ठीक प्रकार से मुद्रित हैं। अनुक्रमांक ठीक से मेल न खाने या किसी मतपत्र पर चुनाव चिन्ह ठीक से मुद्रित न होने की दशा में ऐसे मतपत्र के ऊपर तिरछी लाइनें खींच कर उसे रद्द कर दिया जाए और उस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाए।

(ix) अन्य सामग्री जैसी कि **परिशिष्ट–45** पर अंकित है।

(2) प्रत्येक मतदान दल को निर्वाचन कराने के लिए आवश्यक मात्रा में निर्वाचन सामग्री उपलब्ध करायी जाएगी। एक मतदान टोली के लिए अपेक्षित मतदान सामग्री का विवरण **परिशिष्ट–45** पर अंकित है।

मतपत्र की जाँच

79(1) पीठासीन अधिकारी को मतदान के दो तीन दिन पहले उन्हें प्रशिक्षण के समय ही निर्वाचन सामग्री दी जाएगी। मतपेटिकाएं तथा मतपत्र मतदान दल के मतदान स्थल के लिए रवानगी के दिन दिए जाएंगे। मतपत्रों की जो गडिड्याँ उन्हें दी जाएंगी, उनमें चुनाव प्रत्याशियों के केवल निर्वाचन चिन्ह मुद्रित रहेंगे परन्तु नाम नहीं होंगे।

(2) कुलाबा समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु पीठासीन अधिकारी को छः विभिन्न रंगों के मतपत्र दिए जाएंगे तथा अल्पिका/ रजबहा/शाखा/ समिति

के सदस्यों के निर्वाचन हेतु तीन रंगो का मतपत्र दिया जाएगा।

(3) मतपत्र प्राप्त करते समय पीठासीन अधिकारी सावधानी पूर्वक यह देख लेंगे कि मतपत्रों पर सिलसिलेवार क्रमांक अंकित किए गए हैं तथा उसके प्रतिपर्ण पर अनुक्रमांक एक से है तथा प्राप्त मतपत्रों की संख्या उस मतदान स्थल पर मतदाताओं की संख्या से कम नहीं है। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न सब–कमाण्ड/रीच के निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो मतपत्र मिले हैं उन पर कम से कम उतने निर्वाचन प्रतीक मुद्रित हैं, जितने कि उस सब कमाण्ड/रीच से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज हैं।

मतदान स्थल की स्थापना एवं तैयारी करना

80. मतदान स्थल की स्थापना करने में निम्न कार्यवाही की जाएगी–

(1) मतदान स्थल पर पहुँच कर सबसे पहले प्रस्तावित मतदान स्थल के भवन का निरीक्षण कर मतदान स्थल की स्थापना यथासम्भव **परिशिष्ट–44** के अनुसार की जाएगी।

(2) पुरूषों और महिलाओं के लिए प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

(3) मतदाताओं के आने–जाने के रास्ते अलग–अलग होंगे यदि कक्ष में केवल एक ही प्रवेश द्वार हो तो रस्सी बाँध कर अन्दर जाने और बाहर निकलने के अलग–अलग रास्ते बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(4) मतदान अभिकर्ताओं को इस प्रकार बैठाने की व्यवस्था की जाएगी कि जब कोई मतदाता आकर मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के सामने खड़ा हो तो वे (अभिकर्तागण) उसका चेहरा देख सकें और जरूरत पड़ने पर उसकी पहचान को चुनौती दे सकें। ऐसी जगह मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पीछे भी हो सकती है।

(5) मतदान कक्ष (बूथ) में (जहाँ आकर मतदाता मतपत्र पर चिन्ह लगाएगा) इस तरह की आड़ हो कि कोई यह न जान सके की मतदाता ने किस अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान किया है।

(6) मतदान कक्ष के भीतरी भाग में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए।

(7) मतदान स्थल के अन्दर मतदान कक्ष ऐसे स्थानों पर बनाए जाने चाहिए और मतपेटियों का ऐसी जगह रखा जाना चाहिए कि मतदाताओं का ज्यादा आड़ा–तिरछा न चलना पड़े।

(8) मतदान स्थल के अन्दर पहले से लगे ऐसे प्रत्येक फोटो अथवा चित्र को, जिसका सम्बन्ध किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रतीक से जोड़ा जा सके, हटा लिया जाएगा।

(9) प्रत्येक मतदान स्थल के बाहर निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों के नामों की हिन्दी देवनागरी के वर्णक्रमानुसार में तैयार की गई सूची, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक भी दर्शाया गया हो, प्रदर्शित की जाएगी।

(10) मतदान स्थल के इर्द–गिर्द 200 मी0 की सीमा के भीतर मतदान के दिनांक को किसी भी प्रकार के प्रचार की अनुमति नहीं होगी। अतः मतदान स्थल के चारों ओर 200 मी0 की दूरी दर्शाने वाले मुद्रित पर्चे भी यथास्थान लगा दिए जाएंगे।

मतदान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन

81. मतदान प्रक्रिया के सुव्यवस्थित और दक्षतापूर्ण ढंग से संचालन के लिए विभिन्न मतदान अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगा :–

(1) **मतदान अधिकारी–1**–यह अधिकारी मतदाता के प्रवेश करते ही उससे उसका नाम तथा उप कमाण्ड/रीच की जानकारी प्राप्त करेगा एवं मतदाता सूची की प्रति में उसका नाम ढूँढ़ेगा। नाम मिलने पर वह उसे जोर से पढ़ेगा। मतदान अभिकर्ताओं से आपत्ति नहीं होने पर सूची में उसके नाम का रेखांकित करेगा तथा यदि महिला हो तो उसके नाम के सामने सही का चिन्ह भी लगाएगा। मतदाता के बांए हाथ की तर्जनी (नाखून की जड़ तथा खाल के मध्य) में अमिट स्याही का निशान लगाएगा। मतदाता के बांए हाथ की तर्जनी न होने की स्थिति में अंगूठा के बाद वाली अंगुली में अमिट स्याही का निशान लगाएगा।

(2) **मतदान अधिकारी–2**– यह अधिकारी मतदाता को कुलाबा समिति के मतदान हेतु मतदाता को उतने मतपत्र देगा जितने कुलाबा सब–कमाण्ड की मतदाता सूची में वह मतदाता है। इस अधिकारी को यह सावधानी रखनी है कि मतदाता को उसी कुलाबा सब कमाण्ड से सम्बन्धित मतपत्र दिया जाए जिस कुलाबा सब कमाण्ड की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है।

अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका, रजबहा एवं शाखा समिति के मतदान हेतु प्रत्येक मतदाता को केवल उसी रीच का मतपत्र दिया जाए जिस रीच का वह मतदाता है। कार्य निष्पादन में सुविधा एवं सुगमता के लिए इस अधिकारी को चाहिए कि वह प्रत्येक रंग के मतपत्र एक साथ रख ले। ऐसा करने से सही सब कमाण्डों/रीचों का मतपत्र जारी करने में चूक या त्रुटि की सम्भावना नहीं रहेगी। यह अधिकारी मतदाता सूची में अंकित मतदाता का अनुक्रमांक उसे दिए गए मतपत्र के प्रतिपर्ण में दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। यदि कोई मतदाता प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर करने या अंगूठा का निशान लगाने से मना करे तो उसे मतपत्र नहीं दिया जाएगा। प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर कर दिए जाने या अंगूठा निशान लगा दिए जाने के बाद यह अधिकारी मतदाता को मतपत्र मोड़ कर देगा और साथ में मताधिकार एवं मत अंकित करने की विधि तथा उसके बाद मतपेटी में मतपत्र डालने के बारे में जानकारी देगा। कुलाबा समिति के मतपत्र को पहले खड़ा और बाद में आड़ा करके मोड़ा जाएगा। अल्पिका/रजबहा/

शाखा समिति के मतपत्र को पहले आड़ा और बाद में खड़ा करके मोड़ा जाएगा।

उपर्युक्तानुसार मोड़ने के बाद मतपत्र पुनः खोलकर स्याही लगी रबर सील के साथ मतदाता को दिया जाएगा।

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान स्थल में प्रवेश को नियंत्रित करना

82(1) पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि मतदान स्थल के अन्दर भीड़ न होने दें। इसके लिए पीठासीन अधिकारी स्थल के बाहर लगी कतारों में बारी–बारी से महिला तथा पुरूष मतदाताओं को सीमिति संख्या में मतदान स्थल के अन्दर आने की अनुमति दें।

(2) मतदान स्थल पर तैनात पुलिस कर्मी या विशेष पुलिस अधिकारी सामान्यतया स्थल के बाहर ही ड्यूटी पर रहेंगे जब तक कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीठासीन अधिकारी उन्हें अन्दर न बुलाएं।

(3) यदि पीठासीन अधिकारी को लगे कि मतदान स्थल पर कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से खड़ा है और मतदान के सुचारू रूप से संचालन में व्यवधान पैदा कर रहा है तो वह उसे चले जाने के लिए कह सकते हैं यदि फिर भी वह न जाए तो उसे हटाए जाने के लिए स्थल पर तैनात पुलिस कर्मी को निर्देश दे सकते हैं।

मतदान स्थल या उसके आस–पास शान्ति व्यवस्था बनाए रखना

83. मतदान के सुचारू रूप से संचालन के लिए मतदान स्थल तथा उसके आस–पास शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा वहाँ पर गड़बड़ी या मतदान को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पीठासीन अधिकारी द्वारा कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों और फोटोग्राफरों द्वारा फोटो लिया जाना

84. **(क) मतदान स्थल में प्रवेश–** पत्रकारों/फोटोग्राफरों द्वारा मतदान स्थल के बाहर कतार में खड़े मतदाताओं के फोटो लिए जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं। परन्तु बगैर चुनाव अधिकारी, उपचुनाव अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए अधिकार–पत्र के उन्हें मतदान स्थल के अन्दर प्रवेश न करने दें। किसी भी परिस्थिति में किसी फोटोग्राफर को मतदान कक्ष में (जहाँ कि मतदाता मतपत्र पर निशान लगाता है) नहीं जाने दें।

(ख) मतपेटी तैयार करना–(1)मतदान निर्धारित समय पर प्रारम्भ करने के लिए पीठासीन अधिकारी को मतपेटी पहले से ही तैयार करनी होगी। मतपेटी तैयार करने की कार्यवाही मतदान आरम्भ करने के लिए निर्धारित समय के 20 मिनट पूर्व प्रारम्भ कर दी जाएगी। जो अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता मौके पर उपस्थित हों, उन्हें मतपेटी का निरीक्षण का अवसर दिया जाएगा। मतपेटी को उन्हें दिखाकर यह आश्वस्त किया जाएगा कि मतपेटी रिक्त है तथा उसके अन्दर कुछ भी नहीं है। मतपेटियों के लिए जो सादी पेपर सीलें दी गई है उनमें से एक को मतपेटी पर सावधानी से लगाएं। पेपर सील लगाने के पूर्व उस पर उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। पेपर सील इस प्रकार लगाई

जाएगी कि मतपेटी में मतपत्र डालने हेतु बनी दरार बन्द न होने पाए।

(2) मतपेटी को सील बंद करने के पूर्व उसके अन्दर निम्नानुसार एक पते की चिट भी डालें :–

(i) पोलिंग स्टेशन का विवरण

(ii) मतपेटी की क्रम संख्या

(iii) मतदान की तिथि

(iv) समिति का विवरण

(3) मतपेटी का क्रमांक 1/3, 2/3 या 3/3 उसी क्रम में लिखा जाएगा, जिस क्रम में मतपेटियाँ एक के बाद एक उपयोग में लाई गई हैं। मतपेटी को सील बन्द करते समय प्रस्तर–84 (ख) (2) की चिट मतपेटी के हैण्डल पर भी बांधी जाएगी।

(4) सील बन्द करने के बाद मतपेटी को मतदान स्थल पर ही **परिशिष्ट–44** में निर्दिष्ट स्थान पर रखी जाएगी।

(5) यदि मतपेटी दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त दिखे तो ऐसी स्थिति में उपलब्ध अन्य मतपेटी का उपयोग किया जाएगा तथा क्षतिग्रस्त मतपेटी को बदले जाने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट अथवा अन्य किसी अधिकारी को सूचना दी जाएगी। यदि कदाचित समय पर नई अतिरिक्त मतपेटी न मिल पाए तो दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मतपेटी पर कागज की सील या टुकड़ा चिपकाकर उसे सुतली या डोरी से बांध कर उसके ऊपर सील लगा दी जाएगी तथा इसका उल्लेख पीठासीन डायरी में किया जाएगा।

(6) जब पहली मतपेटी भरने लगे तथा ''पुशर'' से दबाने के बाद भी मतपेटी में मतपत्र डालने में कठिनाई हो तो दूसरी मतपेटी प्रयोग में लाई जाएगी तथा पहली मतपेटी को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सील बन्द कर दी जाएगी।

(ग) मतपत्र तैयार करना (1) मतदान स्थल पर पहुँचने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी को अन्य कार्यों के साथ मतदान के लिए मतपत्र तैयार करने होंगे। इस हेतु मतदान के पूर्व वह लगभग आधे मतपत्रों में प्रत्येक के पीछे की तरफ अंकित निम्नलिखित खाली स्थान भरा लिया जाएगा।

(क) कुलाबा समिति मतपत्र–

खण्ड का नाम.....
मतदान स्थल क्रमांक.....
अल्पिका/रजबहा/शाखा.....
कुलाबा नम्बर/सब कमाण्ड.....

(ख) अल्पिका/रजबहा/शाखा समिति मतपत्र :–

खण्ड का नाम.....
मतदान स्थल क्रमांक.....
अल्पिका/रजबहा/शाखा का नाम/रीच .....

(2) मतपत्रों के पीछे के खाली स्थान भरने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करेगें। हस्ताक्षर करने का काम उसे मतदान की सुबह को ही करना चाहिए। उससे पहले नहीं। प्रारम्भ में कुछ मतपत्रों पर हस्ताक्षर करें और जैसे–जैसे मतपत्रों का उपयोग होता जाए उसके अनुसार और मतपत्रों पर हस्ताक्षर करते रहें। प्रयास यह हो कि मतपत्र के अन्त में हस्ताक्षरित मतपत्र कम से कम संख्या में शेष रहें।

(3) यदि कुलाबा समिति के उप–कमाण्ड अथवा अल्पिका/रजबहा/शाखा समिति के मतपत्र पर प्रत्याशियों की संख्या से अधिक चुनाव चिन्ह अंकित हों तो अतिरिक्त चुनाव चिन्हों को फाड़कर अलग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अल्पिका/रजबहा/शाखा रीच के मतपत्र में यदि मतपत्र के भागों की संख्या प्रस्तावित पदों की संख्या से अधिक हो तो अतिरिक्त भागों को मतपत्र से अलग कर देना चाहिए।

मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व की प्रक्रिया

85(1)अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं से मतदान आरम्भ होने के कम से कम 20 मिनट पहले मतदान स्थल में पहुंचने की अपेक्षा है ताकि जब मतपेटी तैयार करने की आरम्भिक कार्यवाही चल रही हो तब वे उसे देख सकें। यदि कोई अभिकर्ता समय पर न आए तो उसके लिए प्रतीक्षा करने या आरम्भिक कार्यवाही नए सिरे से करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) पीठासीन अधिकारी प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करने को कहें, जो उसे अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जारी किया गया हो। इस बात को देख लें कि नियुक्ति पीठासीन अधिकारी के मतदान स्थल के लिए ही की गई हैं। तत्पश्चात् उसे नियुक्ति पत्र की प्रविष्टियां पूर्ण करने और घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहें। प्राप्त नियुक्ति पत्रों को सुरक्षित रखें और मतदान के बाद उन्हें अन्य दस्तावेजों के साथ निर्धारित लिफाफे में डालें।

अध्याय–12
मतदान

मतदाता द्वारा मत अंकन की विधि

86.(1) कुलाबा समिति–किसी मतदाता द्वारा किसी एक रंग के मतपत्र पर किसी एक ही चुनाव चिन्ह पर मत अंकित किया जाएगा।

(2) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/शाखा समिति–किसी मतदाता द्वारा किसी एक रंग के मतपत्र के सभी भागों में अलग–अलग चुनाव चिन्हों पर मत अंकित किया जा सकता है। यदि किसी मतदाता द्वारा मतपत्र के सभी भागों में किसी एक ही चुनाव चिन्ह पर मत अंकित किया जाता है तो एक भाग को छोड़कर शेष भागों के मत अंकन को निरस्त माना जाएगा। मतदाता द्वारा मतपत्र के किसी एक भाग में किसी एक ही चुनाव चिन्ह पर मत अंकित किया जाएगा।

मतदान प्रारम्भ करना

87.(1) पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा है कि वह ठीक समय पर मतदान प्रारम्भ करे। यदि कदाचित मतपेटी तैयार करने में कुछ विलम्ब हो जाए तो वह निर्धारित समय पर 5–7 मतदाता को मतदान स्थल में प्रवेश दे दें तथा मतदान अधिकारी–1 से उनकी पहचान आदि की कार्यवाही करने को कहे। ध्यान रहे कि मतदान करने में हुए इस प्रकार के विलम्ब के बावजूद मतदान बन्द करने के लिए निर्धारित समय को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

(2) मतदान के प्रारम्भ होने से पूर्व सभी उपस्थित लोगों (ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों तथा अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं) को मत की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उनके कर्तव्य और उनके उल्लंघन के लिए प्रस्तर–139 के अनुसार दिए जाने वाले दण्ड को स्पष्ट कर दें।

(3) कुलाबा समिति के निर्वाचन हेतु निर्धारित मतदान स्थल में प्रत्येक मतदाता के प्रवेश करने पर मतदान अधिकारी–1 मतदाता के नाम और उसके द्वारा बताए गए अन्य ब्योरों का निर्वाचक नामावली में दी गई संगत प्रविष्टियों से मिलान करेगा और इसके बाद वह मतदाता का क्रमांक और नाम जोर से पढ़कर सुनाएगा।

(4) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/शाखा समिति के निर्वाचन एवं निर्धारित मतदान स्थल में प्रवेश करने पर मतदान अधिकारी–1 द्वारा उसके नाम एवं अन्य व्योरों का निर्वाचक नामावली में दी गई संगत प्रविष्टियों से मिलान करेगा और इसके बाद मतदाता के पहचान पत्र से उसकी पहचान करेगा। मतदाता द्वारा पहचान पत्र के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य कोई अभिलेख जैसे–किसान क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्गत जल उपभोक्ता समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने का प्रमाण–पत्र आदि, जिससे उसकी पहचान की जा सकती हो, प्रस्तुत किया जा सकता है।

(5) मतदाता की पहचान को कोई चुनौती न दिए जाने पर मतदान अधिकारी–1 वह सारी कार्यवाही करेगा जिसका उल्लेख प्रस्तर–81 में किया गया है। यदि

चुनौती दी जाए तो वह प्रस्तर–88 में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। तदुपरान्त मतदान अधिकारी मतदान से सम्बन्धित अन्य कार्य करेगा।

(6) मतदान अधिकारी–1 को अमिट स्याही की शीशी को बहुत सावधानी से सम्भालकर रखनी चाहिए। शीशी को लुढ़कने से बचाने के लिए किसी कप या टीन के खाली डिब्बे या चौड़े पेंदी वाले किसी बर्तन में कुछ बालू या गीली मिट्टी में मजबूती से जमाकर रखा जाना चाहिए।

(7) मतदान के पश्चात् मतदाता को शीघ्र बाहर जाने को कहा जाए। जिस कमरे में मतदान स्थल स्थापित किया गया हो उसमें यदि दो दरवाजे हों तो एक दरवाजे का उपयोग केवल मतदाताओं के बाहर निकलने के लिए किया जाए।

(8) यदि पीठासीन अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि कोई निर्वाचक अंधेपन या अशक्तता के कारण मतपत्र के प्रतीकों का बिना सहायता के पहचानने या उन पर चिन्ह लगाने में असमर्थ हैं तो पीठासीन अधिकारी निर्वाचक को उसकी ओर से और उसकी इच्छानुसार मतपत्र में मत अंकित करने के लिए, यथाआवश्यक मतपत्र मोड़ने के लिए और उसे मतपेटी में डालने के लिए अपने साथ एक साथी, जो 18 वर्ष से कम आयु का न हो, को मतदान प्रकोष्ठ में ले जाने की अनुमति दे देंगे। परन्तु ऐसा व्यक्ति मतदान स्थल पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति से इस आशय की घोषणा भी ली जाएगी कि वह निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा अभिलिखित लिया जाए कि वह मत को गोपनीय रखेगा और उसने किसी अन्य निर्वाचक के लिए साथी के रूप में कार्य नहीं करेगा। पीठासीन अधिकारी ऐसे मामलों का एक अभिलेख विहित प्रपत्र **परिशिष्ट–64 एवं परिशिष्ट–65** में रखेंगे।

(9) पुरूष तथा स्त्री मतदाताओं को बारी–बारी से 4–5 मतदाताओं की टोलियों में मतदान स्थल के अन्दर प्रवेश देने की व्यवस्था की जाए। जिन महिलाओं की गोद में बच्चा हो, उन्हें प्रवेश देने में प्राथमिकता दी जाए।

(10) यदि कोई मतदाता असावधानी से, जिसके पीछे उसकी दुर्भावना न हो, अपना मतपत्र खराब कर दें और उसे लौटना चाहें तो उसके सम्बन्ध में आप अपना समाधान कर लेने के पश्चात् उसे दूसरा मतपत्र दिया जाएगा। इस प्रकार लौटाए गए मतपत्र पर ''खराब–रद्द किया गया'' शब्द अंकित करते हुए उसे भी अलग रखा जाए।

(11) मतपत्र प्राप्त करने के बाद यदि कोई मतदाता उसका उपयोग न करना चाहे और उसको लौटाना चाहें तो उसे भी ले लिया जाएगा। इस प्रकार लौटाए गए मतपत्र पर ''लौटाया गया रद्द किया गया'' शब्द अंकित करते हुए उसे भी अलग रखा जाए।

(12) यदि मतदाता को जारी कोई मतपत्र उसके द्वारा मतपेटी में न डाला जाए और ऐसा मतपत्र मतदान स्थल पर या उसके निकट किसी भी स्थान पर पाया

जाए तो उसे भी ''लौटाया गया रद्द किया गया'' अंकित कर अलग रखा जाए।

(13) यदि अंधेपन या अन्य दूसरी शारीरिक अक्षमता के कारण मतदाता चुनाव चिन्ह को पहचानने में असमर्थ हो तो मतदाता की इच्छानुसार पीठासीन अधिकारी मतपत्र पर ऐसे मतदाता की इच्छा के अनुसार मत का अंकन करने के उपरान्त मत को छिपाने हेतु मतपत्र को मोड़कर मतपेटी में डालेगा।

(14) इस नियम को पालन करते समय पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान को गोपनीय रखा जाएगा तथा ऐसी प्रत्येक घटना का संक्षिप्त लेखा रखा जाएगा परन्तु लेखा में मतदान की विधि इंगित नहीं की जाएगी।

नोटः– मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही मतपत्र दिए जाने से पहले लगाई जाएगी जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से यह व्यक्ति पुनः मत न डाल पावें। **यदि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक मतदान बूथों की निर्वाचक नामावली में है और वह समस्त बूथों पर मतदान करना चाहता है, तो ऐसे मतदाता को निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी अथवा पीठासीन अधिकारी से प्रमाण–पत्र लेना चाहिए। यह प्रमाण–पत्र मतदान बूथ पर मतदान करने हेतु मतदाता को अधिकृत करेगा। इस प्रकार के मतदाता की उँगलियों पर प्रत्येक मतदान स्थल पर अमिट स्याही लगाई जाएगी।** मतदाता को मतपत्र देते समय सम्बन्धित मतदान अधिकारी यह देख लें कि ऐसे व्यक्ति की अंगुली पर अमिट स्याही लगी है अथवा नहीं। मतदाता को मतपत्र देने से पहले पीठासीन अधिकारी मतपत्र के पीछे अपने पूरे हस्ताक्षर करेंगे।

(14) मतों की गोपनीयता भी अत्यन्त आवश्यक है। यदि कोई मतदाता मतपत्र को सबके सामने खोलकर निशान लगा रहा है अथवा निशान लगाकर सबको दिखा रहा है तो ऐसे मतपत्र को मतपेटी में नहीं डाला जाएगा और ऐसे मतपत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसा मतपत्र वापस लेकर पीठासीन अधिकारी उस पर अपनी निम्नलिखित टिप्पणी लिखकर उसको निरस्त कर देंगेः–

''मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया अतः निरस्त''

मतदाता के पहचान के सम्बन्ध में आपत्ति

88.(1) मतदान अधिकारी–1 के द्वारा उसके सामने खड़े मतदाता से सम्बन्धित निर्वाचन नामावली की प्रविष्टियां पढ़ने के बाद कोई भी अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता उस मतदाता की पहचान बावत आपत्ति कर सकता है। अतः मतदान अधिकारी–1 को प्रविष्टियाँ पढ़ने के बाद कुछ क्षण प्रतीक्षा कर उसके नाम को रेखांकित करते हुए उसकी बाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही का निशान लगाना चाहिए। अमिट स्याही का निशान लगा देने के बाद की गई किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा करने के पूर्व ही आपत्ति उठा दी जाती है तो पीठासीन अधिकारी उस मामले की आगे कार्यवाही हेतु अपने पास लेगा और मतदान अधिकारी–1 को अन्य मतदाताओं को मतपत्र देने की कार्यवाही जारी रखने को कहेगा।

(2) किसी व्यक्ति के मतदाता होने के सम्बन्ध में की गई आपत्ति पर तभी विचार किया जाएगा जब कि आपत्ति कर्ता ऐसी आपत्ति के लिए पीठासीन अधिकारी के पास पहले नगद पाँच रूपए की धनराशि जमा करें। ऐसी जमा करने की राशि के लिए **परिशिष्ट–66** के अनुसार रसीद दी जाए।

(3) राशि जमा कर लिए जाने पर आपत्ति के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी–

(क) जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई है तो उसे यह चेतावनी दी जाएगी कि, जो वह नहीं है, वह बताने के लिए, वह धारा–171डी भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधी होगा।

(ख) मतदाता सूची की प्रविष्टियों को पूरी तरह पढ़कर सुनाया जाएगा और उस व्यक्ति से यह पूंछा जाएगा कि क्या वह वही व्यक्ति है। यदि वह हाँ कहे तो उसका नाम और पता आपत्तिकृत मतों की सूची **परिशिष्ट–67** में दर्ज किया जाएगा तथा उसे उसमें अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठा निशान लगाने को कहा जाएगा।

(ग) उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् आपत्ति के सम्बन्ध में निम्नानुसार संक्षिप्त जाँच की जाएगा–

(i) आपत्तिकर्ता को आपत्ति के प्रमाण के बारे में तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

(ii) इस हेतु मतदाता से आवश्यक प्रश्न पूछे जाएगा, जैसे कि ग्राम में वह कब से रह रहा है, क्या करता है, उसके रिश्तेदार और पड़ोसी कौन है, उसकी कितनी जमीन है, ग्राम के प्रमुख व्यक्ति कौन हैं।

(iii) पक्ष–विपक्ष में साक्ष्य देने के लिए उपलब्ध/उपस्थित अन्य किसी से भी पूंछतांछ की जा सकती हैं।

(iv) उपर्युक्त पूंछतांछ पीठासीन अधिकारी शपथ पर बयान लेकर कर सकते हैं।

(v) जाँच करने के बाद यदि उठाई गई आपित्त को सही होना पाया जाए तो सम्बधित व्यक्ति को मतपत्र नहीं दिया जाएगा, और अपत्तिकर्ता द्वारा जमा की गई राशि लौटा दी जाएगी और लौटाई गयी राशि की रसीद प्राप्त कर ली जाएगी साथ ही एक रिपोर्ट के साथ सम्बन्धित थाना प्रभारी को ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मतदान स्थल पर तैनात पुलिस/सुरक्षा कर्मी को सुपुर्द कर दिया जाएगा तथा इसका उल्लेख पीठासीन अधिकारी की डायरी में यथा स्थान अंकित कर दिया जाएगा।

(vi) जाँच करने के बाद यदि उठाई गई आपत्ति सिद्ध न हो पाए तो सम्बन्धित व्यक्ति को मतदान के लिए अनुमति देते हुए, उसी तरह

मतपत्र दिया जाएगा जैसे किसी अन्य मतदाता को दिया जाता है। साथ ही आपत्तिकर्ता द्वारा जमा की गई राशि शासन के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी।

(घ) जहाँ किसी महिला मतदाता की पहचान पीठासीन अधिकारी द्वारा न की जा सके वहाँ उसकी पहचान उसके निकटतम सम्बन्धी द्वारा करायी जाएगी। सम्बन्धी द्वारा पहचान कराए जाने में अथवा पीठासीन अधिकारी की अन्य विधि से पहचान किए जाने में पीठासीन अधिकारी का समाधान होना आवश्यक है। इस संबध में पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

निविदत्त मतपत्र

89.(1) यदि कोई व्यक्ति स्वयं को मतदाता बताते हुए मतपत्र की मांग करे तथा मतदाता सूची के अवलोकन से यह ज्ञात हो कि उस नाम से कोई अन्य व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुका है तो पीठासीन अधिकारी उससे इस आशय के कुछ प्रश्न पूछे जिससे उसे संतुष्टि हो जाए कि वह वास्तव में सही मतदाता है। ऐसा व्यक्ति मतपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा। परन्तु उसके मतपत्र को मतपेटी में नहीं डाला जाएगा। ऐसा मतपत्र, जिसे निविदत्त मतपत्र कहते हैं, पीठासीन अधिकारी को सौंपा जाएगा। ऐसे मतपत्रों को उसे इस प्रयोजन के लिए अलग से दिए गए लिफाफों में मदवार अलग–अलग रखा जाएगा। मतदान की समाप्ति पर निविदत्त मतपत्रों के लिफाफे को सील बंद कर दिया जाएगा।

(2) निविदत्त मतपत्र, मतपत्रों की आखिरी गड्डी में से अन्तिम क्रमांक की ओर से जारी किया जाएगा। लेखा तैयार करने में सुविधा की दृष्टि से ऐसा किया जाना वांछनीय है। जिस व्यक्ति को निविदत्त मतपत्र दिया जाएगा, उससे निविदत्त मतपत्रों की सूची **परिशिष्ट–68** में संगत प्रविष्टि के सामने उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगवाया जाएगा।

(3) निविदत्त मतपत्रों के अनुक्रमांक तथा संख्या **परिशिष्ट–68** में अंकित किया जाएगा। यदि कोई निविदत्त मतपत्र जारी नहीं किया गया है तो यह प्रविष्टि शून्य रहेगी।

(4) निविदत्त मतपत्रों को मतगणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

मतदान की गोपनीयता एवं मतदान विधि

90. **मतदान की गोपनीयता**

(1) प्रत्येक मतदाता जिसे मतपत्र निर्गत किया गया हो पोलिंग स्टेशन के अन्दर मतदान को गोपनीय रखेगा तथा निर्धारित मतदान प्रक्रिया को अपनाएगा।

(2) मतपत्र प्राप्त करने के बाद मतदाता तत्कालः–

(क) मतदान कक्ष को प्रस्थान करेगा।

(ख) मतपत्र पर जिस प्रत्याशी को मत देना चाहे उसको आवंटित चुनाव चिन्ह के निकट उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए रबर की सील से चिन्ह लगाएगा।

(ग) कुलाबा समिति के मतपत्र को पहले खड़ा फिर बेड़ा मोड़ेगा जिससे

मत की गोपनीयता बनी रहे।

(घ) अल्पिका/रजबहा/शाखा समिति के मतपत्र को पहले बेड़ा फिर खड़ा मोड़ेगा जिससे मत की गोपनीयता बनी रहे।

(ड.) मुड़े हुए मतपत्र को विनिर्दिष्ट मतपेटी में डालेगा।

(च) उपलब्ध निकास के रास्ते से मतदान स्थल छोड़ देगा।

(3) प्रत्येक मतदाता द्वारा बिना विलम्ब के मतदान किया जाएगा।

(4) जब एक मतदाता मतदान कक्ष में है तो दूसरे को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

(5) यदि मतदाता द्वारा, जिसे मतदान पत्र निर्गत किया जा चुका है, मतदान की निर्धारित प्रक्रिया के सम्बन्ध में चेतावनी देने के उपरान्त भी मत देने से इन्कार किया जाता है तो निर्गत मतदान पत्र पीठासीन अधिकारी/पोलिंग अधिकारी द्वारा वापस ले लिया जाएगा चाहे उसने अपना मत उस पर अंकित किया हो अथवा नहीं।

(6) मतदान पत्र वापस लेने के बाद पीठासीन अधिकारी मतपत्र के पृष्ठ भाग पर ''निरस्त, मतदान प्रक्रिया का उलंघ्घन'' अंकित कर इसके नीचे अपना हस्ताक्षर करेगा तथा ऐसे मतपत्रों को अलग लिफ़ाफे में रखा जाएगा जिसके ऊपर ''मतदान पत्र–मतदान प्रक्रिया का उल्लंघ्घन'' अंकित किया जाएगा।

मतदान स्थगित करना

91. यद्यपि मतदान सुचारू रूप से सम्पन्न हो इसके लिए सुरक्षा सहित सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं, फिर भी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है, जिनमें कि मतदान की कार्यवाही जारी रखना संभव न हो। मतदान केन्द्र पर खूनी हिंसा, बलवे आदि के कारण या आग लगने, तेज आंधी बारिश आने आदि आपदा के कारण मतदान की प्रक्रिया रूक सकती है।

(1) यदि बलवा या हिंसा हो जाए अथवा होने की संभावना हो तो सुरक्षा हेतु नियुक्त पुलिस कर्मियों की मदद ली जाएगी। यदि प्रयास के बाद भी बलवा या हिंसा के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में मतदान जारी रखना संभव न हो तो पीठासीन अधिकारी मतदान रोक देगा और इस आशय की औपचारिक घोषणा सभी उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष करेगा। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी यदि मतदान चालू रखना सम्भव प्रतीत न हो तो मतदान बन्द कर दिया जाएगा और उपरोक्तानुसार ही उसकी भी औपचारिक घोषणा की जाएगी। मात्र अल्पकालिक वर्षा या तेज हवा का चलना मतदान स्थगित करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है।

(2) मतदान स्थगित करने पर पीठासीन अधिकारी को निम्नलिखित कार्य तत्काल करने होंगे–

(क) निर्वाचन अधिकारी को मामले का पूरा तथ्य दर्शाते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट तत्काल भेजी जाएगी। इस रिपोर्ट में न केवल घटना के तथ्यों/परिस्थितियों का वर्णन किया जाएगा बल्कि पीठासीन

अधिकारी को मौके पर उपस्थित अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रयासों की संक्षिप्त जानकारी भी सम्मिलित की की जाएगी।

(ख) मतपेटी को (जिसमें मतदान रोकने के समय तक मत डाले गए होंगे) ठीक उसी प्रकार सील किया जाएगा जिस प्रकार सामान्य परिस्थितियों में मतदान पूर्ण होने के पश्चात् किया जाता है। इस मतपेटी की पूर्व में मतपत्रों से भरी तथा सील की हुई मतपेटियों के साथ (यदि कोई हो, तो) सुरक्षित रखा जाएगा। वस्तुतः लेखा तैयार करने, अन्य पैकेटों को सील बंद करने तथा मतपेटियों, पैकेटों आदि को निर्वाचन अधिकारी की ओर से प्रेषित करने की कार्यवाही ठीक उसी प्रकार की जाएगी जैसा कि मतदान शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होने के उपरान्त की जाती है।

(ग) मतदान स्थगित करने की औपचारिक घोषणा की सूचना दो प्रतियों में तैयार की जाएंगी। एक प्रति में मतदान स्थल में उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर सहित पीठासीन अधिकारी के पास रहेगी तथा दूसरी प्रति केन्द्र पर सर्वसाधरण की सूचना के लिए प्रदर्शित (चस्पा) कर दी जाएगी।

(3) मतदान स्थगित करने के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे दिए गए विवेकाधिकार का प्रयोग केवल उन्हीं परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, जबकि मतदान चालू रखना वस्तुतः असम्भव हो जाए।

तात्कालिक स्थगन (एडजर्नमेन्ट) पर पुनर्मतदान की कार्यवाही

92. प्रस्तर–91 के अन्तर्गत स्थगित किया गया मतदान जब पुनः उसी तिथि में प्रारम्भ किया जाए तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता सूची की चिन्हांकित प्रति (जो मतदान स्थगन से पूर्व उपयोग की गई थी) को सील बन्द पैकेट में दिया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी द्वारा अन्य सामग्री के साथ नयी मतपेटी भी दी जाएगी। मतदान पुनः प्रारम्भ करने के पूर्व तत्समय उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष सील बन्द पैकेट खोला जाएगा तथा मतदाता सूची की चिन्हांकित प्रति के अनुसार आगे मतदान कराया जाएगा। उन मतदाताओं को, जिन्होंने मतदान के दौरान अर्थात् पहले ही अपने मत दे दिए हों, फिर से मत देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार कराए गए पुनर्मतदान के मामले में मतदान के पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान की समाप्ति के उपरान्त की जाने वाली समस्त कार्यवाहियाँ ठीक उसी प्रकार से की जाएंगी जैसे कि सामान्य परिस्थितियों में कराए जाने वाले मतदान के लिए की जाती है।

आपात स्थितियों में मतदान का स्थगन

93. यदि किसी निर्वाचन में मतदान स्थल पर कार्यवाहियों में किसी बलवा या हिंसा द्वारा अवरोध किया जाए या बाधा डाली जाए या किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराना सम्भव न हो, तो ऐसे मतदान स्थल का मतदान स्थगित किए जाने की पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा की जाएगी और इसकी सूचना तुरन्त निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी।

निर्वाचन अधिकारी उन परिस्थितियों की सूचना तुरन्त चुनाव अधिकारी/उप चुनाव अधिकारी को देगा और उसके पूर्वानुमोदन से यथाशीघ्र नया मतदान कराने के लिए दिन नियत करेगा और वह स्थान जहाँ पर यथा समय, जिसके दौरान नया मतदान कराया जाएगा, उसे ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसे चुनाव अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। उपर्युक्त प्रत्येक ऐसे मामले में पीठासीन अधिकारी नया मतदान कराएगा।

मतपेटियों के क्षतिग्रस्त हो जाने आदि के मामले में कार्यवाही

94. मतदान स्थल पर कानून एवं व्यवस्था बिगड़ने की अत्यन्त गंभीर परिस्थितियों में कतिपय अवांछनीय तत्वों द्वारा उपयोग में लायी गई मतपेटियों पर विधि विरूद्ध ढंग से कब्जा कर लेने या पीठीसीन अधिकारी के नियंत्रण से मतपेटियाँ छीनने या बाहर निकाल लेने की दशा में अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में मतपत्रों से भरी और उपयोग में लायी गई मतपेटियों को विनष्ट करने, मतपत्रों की हेरा–फेरी की दृष्टि से सील तोड़कर या अन्यथा गड़बड़ी करने या उनके दुर्घटनावश विनष्ट हो जाने की दशा में मतदान स्थल में प्रक्रिया सम्बन्धी कोई ऐसी गलती या अनियमितता हो जाए जिससे कि मतदान दूषित हो जाए तो उपर्युक्त वर्णित स्थिति में पीठासीन अधिकारी मतदान स्थगित कर देगा और तुरन्त सम्पूर्ण तथ्यात्मक विवरण दर्शाते हुए एक प्रतिवेदन निर्वाचन अधिकारी का भेजेगा।

मतदान की समाप्ति एवं मतपेटी सील करना

95 (1) पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित समय पर मतदान बन्द किया जाएगा तथा उसके बाद किसी मतदाता को मतदान स्थल प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। परन्तु यह कि बन्द करने के पहले मतदान स्थल पर उपस्थित समस्त मतदाताओं को मतदान करने दिया जाएगा।

(2) यदि किसी मतदाता की मतदान बन्द होने के पहले मतदान स्थल में उपस्थिति के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो इसका निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(3) पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान बन्द होने के तत्काल बाद मतदान पेटी की झिर्री यथा शीघ्रता से बन्द कर दी जाएगी परन्तु जहाँ पर मतपेटी में इसका यांत्रिक उपकरण झिर्री बन्द करने हेतु नहीं है, वहाँ झिर्री के ऊपर सील लगाकर उपस्थित मतदान एजेन्ट को सील लगाने की अनुमति देने के बाद मतपेटी को सील एवं सुरक्षित रखा जाएगा।

(4) मतदान समाप्त होने के पश्चात् प्रस्तर–98 के अनुसार लिफाफे तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक लिफाफे पर संख्या डाली जाएगी जिस पर लिफाफे में बन्द सामग्री का विवरण, निर्वाचन विवरण तथा मतदान स्थल का विवरण अंकित किया जाएगा। जिस मतदान स्थल पर कोई मतदान नहीं हुआ है वहाँ पीठासीन अधिकारी द्वारा ''शून्य'' रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र पर विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

मतपत्र लेखा तैयार करना

96. कुलाबा समिति सदस्यों के निर्वाचन हेतु छः अलग–अलग रंगो के मतपत्रों

की गड्डियाँ दी जाएगी तथा अल्पिका/ रजवाहा/ शाखा समिति के सदस्यों हेतु 3 प्रकार की अलग–अलग रंगो की गड्डियां दी जाएंगी। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का अलग–अलग मत–पत्र लेखा निम्न प्रकार से **परिशिष्ट–69/69क** के प्रारुप पर तैयार किया जाएगा–

(1) क्रमांक–1 इस क्रमांक में सम्बन्धित निर्वाचन के लिए प्राप्त कुल मतपत्रों का विवरण अंकित किया जाएगा।

(2) क्रमांक–2 इस क्रमांक में उपयोग में नही लाए गए मतपत्रों की संख्या लिखनी होगी। यहाँ उन मतपत्रों का विवरण लिखना होगा, जो मतदान समाप्ति के बाद शेष बचे है।

(3) क्रमांक–3 इस क्रमांक में उन मतपत्रों का विवरण देना होगा जो कि प्रयोग में तो लाए गए हों परन्तु मतदाता द्वारा मतपेटी में नहीं डाले गए हों। इसमें निविदत्त तथा रद्द किए गए (मुद्रण त्रुटि के कारण रद्द, मतदाताओं द्वारा असावधानी बरतने के कारण रद्द, मतपत्र प्राप्त करने एवं मतपेटी में न डालने व लौटा दिए जाने के कारण तथा मतदान स्थल पर इधर–उधर पाए गए मतपत्र आदि) सम्मिलित होंगे।

(4) क्रमांक–4 इस क्रमांक में मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की गणना करनी है।

नोट–अल्पिका/रजबहा/शाखा समिति के मतपत्र का लेखा तैयार करने में क्रमांक 1, 2 व 3 की तालिका के कॉलम 5, 8 एवं 11 का मान क्रमशः कॉलम 4, 7 एवं 10 के मान से सम्बन्धित रंग के मतपत्र के कुल भागों की संख्या से गुणा करके प्राप्त किया जाएगा।

पीठासीन अधिकारी की डायरी

97(1) पीठासीन अधिकारी की डायरी में मतदान से सम्बन्धित प्रमुख कार्यवाहियों एवं घटनाओं का तथ्यात्मक उल्लेख अपेक्षित है। डायरी **परिशिष्ट–70** में दिए गए प्रारूप में लिखी जाएगी जो मतदान सामग्री के साथ प्राप्त होगी।

(2) डायरी लिखने में निम्नलिखित बिन्दु ध्यान में रखा जाएगा–

i. क्रमांक–5 में पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम और पते के अतिरिक्त उन्हें इस कारण का उल्लेख करना है जिसमें ऐसी नियुक्ति करनी पड़ी।

ii. क्रमांक–8 में उपस्थित अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन या मतदान अभिकर्ताओं की केवल संख्या दर्शानी है। नामों का उल्लेख नहीं करना है।

iii. क्रमांक–9 में केवल उन मतदाताओं की संख्या का उल्लेख करना है जिन्हे मतदान में साथी/सहायक दिया गया हो। आंशिक अंधेपन या शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे व्यक्ति, जो किसी की मदद से मतदान स्थल में आए हों, परन्तु जिन्होंने मतदान कक्ष में मतदान बिना किसी सहायक के किया हो, उनकी संख्या इस

कालम में नहीं दर्शायी जाएगी।

iv. क्रमांक–12 में यदि किसी अवधि में मतदान स्थगित करने की स्थिति आयी हों तो उसका केवल उल्लेख कर देना ही पर्याप्त नहीं है। इसका एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर उसे डायरी के साथ संलग्न किया जाएगा।

v. क्रमांक–14 में केवल महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे–मारपीट/झगड़ा/निर्वाचन, अपराध/निर्वाचन–प्रेक्षक का आना आदि को ही संक्षिप्त उल्लेख करना चाहिए।

(3) डायरी लिखने के लिए मतदान के समाप्त हो जाने का प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। कुछ जानकारी ऐसी है जो घटनाओं के साथ ही अंकित की जा सकती है और कुछ जानकारी पूर्व से ही तैयार करके लिखी जा सकती है। जैसे मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाता और उनमें पुरूष और महिलाओं की संख्या आदि।

(4) मतदान समाप्त होने के पश्चात् डायरी को पूरा करके दिए गए निर्धारित लिफाफे में रखा जाएगा। यह सील बंद नही होगा। लिफाफे का क्रमांक–6 होगा।

मतपेटी को सील करना एवं लिफाफे तैयार करना

98(1) **मतपेटी सील करना**– मतदान समाप्त होते ही सर्वप्रथम मतपेटी की दरार को बन्द किया जाएगा एवं दरार नियंत्रक मुठिया से छेदों में तार का टुकड़ा डालकर उसके सिरों को कस कर कई बार मोड़ा जाएगा। साथ ही छेद में धागा डालकर सील लगाई जाएगी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं को सील लगाने दिया जाएगा।

(2) **लिफाफे**–

(i) **मतपत्र लेखा का लिफाफा**– मतपेटी सील करने के पश्चात मतपत्र लेखा इस हेतु निर्धारित लिफाफों में रखा जाएगा। ए लिफाफे सील बन्द नहीं होंगे।

(ii) **चिन्हित मतदाता सूची हेतु लिफाफा**–मतदान अधिकारी–1 द्वारा प्रयोग में लायी गई मतदाता सूची, जिसमें मतदान कर चुके मतदाताओं के नाम रेखांकित एवं सही के निशान से चिन्हित किए गए है, चिन्हित मतदाता सूची कहलाएगी इसे निर्धारित लिफाफे (क्रमांक–1) में रखकर सील बन्द किया जाएगा।

(iii) **रद्द किए गए मतपत्र हेतु लिफाफा**–ऐसे मतपत्र जिन्हे रद्द किया गया है तथा जिनका उल्लेख सम्बन्धित मतपत्र लेखा में किया गया है, को इस हेतु प्रदत्त एक लिफाफे (क्रमांक–2) में रख कर सील बन्द किया जाएगा।

(iv) **निविदत्त एवं उनकी सूची हेतु लिफाफा**–मतदान के दौरान प्राप्त निविदत्त मतपत्रों को निर्धारित लिफाफे (क्रमांक–3) में उससे सम्बन्धित

सूची के साथ रखकर लिफाफे को सीलबन्द किया जाएगा।

(v) **उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपर्ण हेतु लिफाफा**–निर्वाचन में उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपर्ण को एक साथ इस हेतु प्रदत्त लिफाफे (क्रमांक–4) में सीलबन्द किया जाएगा।

(vi) **मतदाताओं को जारी न किए गए मतपत्र हेतु लिफाफा**– ऐसे सभी मतपत्र, जिनका उपयोग नहीं हुआ है एवं जिनकी संख्या सम्बन्धित मतपत्र लेखा में दर्शायी गई है, उन्हें एक साथ इस हेतु प्रदत्त एक लिफाफे (क्रमांक–5) में रखा जाएगा एवं लिफाफे को सीलबन्द किया जाएगा।

उपर्युक्त उप प्रस्तर (ii) से (vi) में वर्णित लिफाफों पर इच्छुक अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता भी यदि सील लगाना चाहे तो उन्हें सील लगाने दिया जाएगा। इन लिफाफों को सील करने के पूर्व गोंद या लेई से अच्छी तरह चिपका कर बन्द किया जाएगा एवं तत्पश्चात् उन पर प्रदत्त की गई सील से, सील लगाई जाएगी।

(vii) उपर्युक्त लिफाफों (क्रमांक–1 से क्रमांक–5 तक के लिफाफे) को एक साथ करते हुए इस हेतु प्रदत्त बड़ी शीट में लपेट कर शीट को किनारों पर चिपका कर एवं सुतली से चारों ओर लपेट कर सीलबन्द कर दिया जाएगा।

(viii) निम्नलिखित लिफाफे व अभिलेखों को अलग–अलग लिफाफों में रखते हुए एक बड़े लिफाफे (क्रमांक–10) में रखा जाएगा।

- आपत्ति किए गए मतों वाली सूची का लिफाफा।
- आपत्ति किए गए मतदाता के मामले में निर्गत की गई रसीदें।
- मतदाता सूची की अन्य प्रतियां।
- मतदान अधिकारियों द्वारा की गई घोषणा एवं नियुक्ति पत्र।
- अन्य विविध कागजात।

(ix) उपर्युक्त कार्यवाही फुर्ती के साथ लगभग एक घण्टे के भीतर पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा।

(x) निम्नलिखित अभिलेख भी लिफाफे में रखा जाएगा–

- मतदान अभिकर्ताओं की घोषणाऐं एवं उनके नियुक्त पत्र (लिफाफा क्रमांक–8)।
- अन्य कोई कागजात या लिफाफें (लिफाफा क्रमांक–9)

उपर्युक्त सामग्री रखने के उपरान्त इस लिफाफे को गोंद/लेई से चिपका कर बन्द कर दिया जाएगा।

(xi) इस प्रकार विभिन्न कागजातों एवं लिफाफों को सीलबन्द करने के बाद क्रमांक–1 से क्रमांक–5 के लिफाफों के बंडल तथा मतपत्रों के बंडल

दी गयी खाली थैली में रख कर सीलबन्द कर दें। मतदान प्रक्रिया के लिए जो भी सामग्री दी गई थी उसे दूसरे थैले में रखा जाएगा।

(xii) उपर्युक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त निर्धारित वाहन द्वारा मतदान स्थल से वापस करने की तैयारी की जाएगी। किसी कारणवश यदि वाहन पहुँचने में देरी हो जाती तो वहाँ से आप कहीं न जाएं और वहीं पर प्रतीक्षा करें। खण्ड मुख्यालय पर पहुॅचकर तत्काल मतपत्र लेखा, पीठासीन अधिकारी की डायरी, जो खुले लिफाफों में होंगी, सीलबन्द मतपेटी तथा क्रमांक–1 से क्रमांक–5 के लिफाफों व अन्य लिफाफों के पैकेट निर्धारित काउण्टर पर जमा करके रसीद प्राप्त की जाएगी। खाली मतपेटी तथा अन्य निर्वाचन सामग्री को निर्धारित काउण्टर पर जमा करके रसीद प्राप्त प्राप्त की जाएगी। तदुपरान्त मतदान अधिकारियों को निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेकर ही कार्य मुक्त होगें।

अध्याय–13
सेक्टर मजिस्ट्रेट हेतु निर्देश

सामान्य दायित्व

99(1) जल उपभोक्ता समिति का निर्वाचन मतपेटिकाओं से सम्पन्न होता है। अतः आवश्यक है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट मतपेटिकाओं का संचालन भली प्रकार ज्ञात कर लें तथा आने वाली समस्त समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में भिज्ञ हो लें। किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर उसका निराकरण सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा अपने विवेकानुसार करने का प्रयास किया जाएगा। गम्भीर परिस्थिति में जोनल मजिस्ट्रेट अथवा रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर से सम्पक्र कर तत्काल समस्या का निराकरण किया जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट का पूर्ण उत्तरदायित्व है कि वह अपने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाए रखें और यह भी सुनिश्चित करे कि मतदान बिना किसी रूकावट के सुचारू रूप से होता रहे तथा कमजोर वर्ग के मतदाताओं को मतदान करने में किसी प्रकार व्यवधान या दबाव न पड़े। साम्प्रदायिक एवं जातिगत दृष्टि से संवेदनशील मतदेय स्थलों पर विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान प्रारम्भ होने से लेकर पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान तक अपने क्षेत्र में लगातार गतिशील रहेंगे।

(2) समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट का यह दायित्व होगा कि अपने सेक्टर से सम्बन्धित सभी पीठासीन अधिकारियों के मोबाइल नम्बर अपने पास रखेंगे जिससे पीठासीन अधिकारियों से सम्पर्क सुगमता से हो सके।

मतदान दल के प्रस्थान की तैयारी

100. मतदान कार्मिकों को निर्धारित वाहनों से निर्धारित मतदेय स्थलों के लिए प्रस्थान कराएं। मतदान कार्मिकों के साथ उसी वाहन में पुलिस भी रहेगी तथा मतदान समाप्त होने के उपरान्त मतपेटी जमा होने के स्थान पर पहुँचने तक साथ रहेगी। प्रस्थान स्थल पर उपस्थित रहकर यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त मतदान दलों ने मतपत्र, मतपेटिकाएं एवं अन्य निर्वाचन सामग्री समुचित मात्रा में प्राप्त कर ली है। एक वाहन में निर्धारित मतदान दल की संख्या पूरी होने पर उसे रवाना करने हेतु निर्देशित करेगें। वाहन का प्रभारी अन्तिम मतदेय स्थल के मतदान दल का पीठासीन अधिकारी होगा जिसकी अनुमति से निर्धारित मार्ग होते हुए मतदान दल रवाना होगा।

मतदेय स्थल के बाहर की व्यवस्था

101. मतदेय स्थल के 200 मी0 क्षेत्र के बाहर ही उम्मीदवारों के प्रतिनिधि एक मेज व दो कुर्सी लगाकर बैठ सकेगें। उनके बैठने के स्थान पर किसी भी प्रत्याशी का बैनर और पोस्टर नहीं लगा रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उम्मीदवार ही क्यों न हो, शस्त्र लेकर इधर उधर नहीं घूमेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी वाहन मतदाताओं को ढोने में संलिप्त न हो। इस हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जिलाधिकारी महोदय से सम्पर्क कर निर्गत कराया जा सकता है।

सामग्री एवं वाहन

102(1) निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित विस्तृत विवरण तथा मतदेय स्थलों की सूची रूट चार्ट, उम्मीदवारों की सूची आदि का यथा समय भली प्रकार अध्ययन कर लिया जाए, जिससे क्षेत्र में सामंजस्य करने तथा मतदान दिवस के दौरान ड्यूटी करते समय कोई असुविधा न हो।

(2) सेक्टर मजिस्ट्रेट की निर्वाचन डियूटी हेतु हल्का वाहन उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही वाहन का लाग बुक एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध रहेगा।

मतदेय स्थल की जाँच कराना

103. सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्र का पूर्णरूपेण भ्रमण कर निम्न बिन्दुओं की जाँच कर जाँच का प्रमाण **परिशिष्ट–71** के प्रारूप पर निर्वाचन/सहायक निर्वाचन अधिकारी को दिया जाएगा।

- मतदेय स्थलों तक आने जाने के लिए सुगम मार्ग की उपलबधता;
- मतदेय स्थलों पर पीने का पानी, शौचालय, फोन आदि की सुविधा मतदेय स्थल पर;
- मतदेय स्थलों की स्थिति का भौतिक सत्यापन (दिवार छत तथा विद्युत व्यवस्था व कमरे ठीक दशा में है अथवा नहीं)।

मतदान दल को प्रस्थान कराने तथा मतदेय स्थल पर पहुँचने की सूचना देना

104(1) सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में पड़ने वाले मतदेय स्थल से सम्बन्धित मतदान टोलियों को मतदान सामग्री सहित समय से रवाना होने की सूचना **परिशिष्ट–72** के प्रारूप पर तथा मतदान स्थल पर पहुँचने कि सूचना **परिशिष्ट–73** के प्रारूप पर सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध कराएंगे। यदि मतदान टोली में कोई व्यक्ति अनुपस्थित हो तो उसकी सूचना भी अनिवार्य रूप से रिटर्निंग रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध कराएंगे।

(2) मतदान दलों के लिए निर्धारित वाहनों में मतदेय स्थलों के लिए रवाना होने के पश्चात क्षेत्रों का शान्ति व्यवस्था एवं मतदान की तैयारी के सम्बन्ध में व्यापक निरीक्षण कर पूरी जानकारी प्राप्त कर ली जाए। सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा समस्त मतदेय स्थलों पर स्वयं जाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदान पार्टियाँ अपने समस्त सदस्य तथा समस्त मतदान सामग्री के साथ सकुशल अपने मतदेय स्थलों पर पहुँच गई हैं तथा प्रातः मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।**यह भी देखा जाएगा कि मतदान स्थल पर बूथ बनाया गया है कि नही।** यदि उक्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार को तत्काल सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग आफिसर/रिटर्निंग अधिकारी के संज्ञान में लाया जाएगा। क्षेत्र भ्रमण के पश्चात सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने मुख्यालय पर ही उपस्थित रहेंगे तथा रात्रि विश्राम भी अनिवार्य रूप से अपने निश्चित मुख्यालय पर करेंगे।

मतदान प्रारम्भ होने तथा मतदान की सामयिक सूचना देना

105(1) सेक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व आप अपने सेक्टर का व्यापक भ्रमण प्रारम्भ कर दिया जाएगा तथा **मतदान दिवस के प्रातः 8:00 बजे के पश्चात निर्वाचन कन्ट्रोल रूम को इस आशय की सूचना परिशिष्ट–74 के**

प्रारूप पर प्रेषित किए जाएंगे कि निर्वाचन प्रत्येक मतदेय स्थल पर शान्तिपूर्वक प्रारम्भ हो गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट को मतदान के दिन लगातार सचल रहना होगा तथा अधिक से अधिक बार मतदेय स्थल पर पहुँच कर कठिनाईयों का निराकरण कराना होगा। जब भी मतदेय स्थल पर जाएं, पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर लें कि किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है तथा अपनी एक भ्रमण डायरी भी बना लें कि किस मतदेय स्थल पर कितने बजे पहुंचे और वहां पर क्या पाया गया। यदि पीठासीन अधिकारी को कोई सामग्री कम प्रतीत होती है तो उसकी आपूर्ति उन्हें तत्काल की जाएगी।

किसी भी गम्भीर समस्या के उत्पन्न होने पर तथ्य से निकटतम चौकी या थाने एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर को तथा निर्वाचन कन्ट्रोल रूम को तुरन्त अवगत कराया जाएगा।

(2)सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान दिवस पर अपने क्षेत्र में पड़ने वाले मतदेय स्थल के पीठासीन अधिकारियों से लगातार समन्वय स्थापित रखेंगे तथा यह सुनिश्चित कराएंगे कि मतदान शान्तिपूर्वक स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष ढंग से बिना किसी रूकावट के चलता रहे। यदि किसी मतदेय स्थल पर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध कराएंगे।

(3) मतदान दिवस पर प्रत्येक 2 घण्टे के उपरान्त पोलिंग का प्रतिशत एवं शान्तिपूर्वक निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध कराना समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट का महत्वपूर्ण दायित्व है।

(4) मतदान के दिन दोपहर 1:00 बजे एवं सायं 5:00 बजे निम्न सूचनाएं अलग से प्रेषित की जाएंगी।

i. गलत व्यक्तियों द्वारा नाम बदलकर/बोगस फर्जी मतदान के सम्बन्ध में।
ii. झगड़े हिंसा आदि अन्य कारणों से मतदान मे अवरोध।
iii. मतपेटी गैर कानूनी तरीके से छीनने फलस्वरूप मतदान में व्यवधान।
iv. बूथ हथियाने (कैप्चरिंग) के सम्बन्ध में।
v. गम्भीर शिकायत।
vi. शान्ति व्यवस्था भंग होने के सम्बन्ध में।
vii. ऐसी गलतियां/अनियमितता जिनसे निर्वाचन से प्रभाव पड़ सकता हो।
viii. मौसम की स्थिति।
ix. मतदान का औसत।

उक्त सूचना अपने–अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग आफिसर/निर्वाचन कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध कराएगें जिसका संकलन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा करने के पश्चात् चुनाव अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।

मतदान समाप्ति की सूचना एवं मतदान दल को रिसीट सेन्टर पर पहुँचाना

106(1)सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा मतदान समाप्त होने के उपरान्त अपना सेक्टर तब तक नहीं छोडा जाएगा, जब तक कि सेक्टर की समस्त पोलिंग पार्टियाँ निर्धारित भारी वाहनों से रवाना नहीं हो जाती हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट सेक्टर से सम्बन्धित भारी वाहनों को स्कोर्ट करके खण्ड मुख्यालय पर स्थापित रिसीट सेन्टर तक ले आएंगें तथा सम्बन्धित वाहनों के गुजरने की जाँच चेकपोस्ट से अवश्य कराएंगे।

(2) मतदान समाप्ति के पश्चात सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में पड़ने वाले मतदेय स्थल से सम्बन्धित मतदान टोलियों को रिसीट सेन्टर के लिए रवाना करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगें कि अपने क्षेत्र में पड़ने वाले मतदेय स्थल से सम्बन्धित मतदान टोलियों की मतपेटी तथा अन्य आवश्यक प्रपत्र/अभिलेख जमा कर दिए हैं।

मतदान दल से मतदान सामग्री एवं मतपेटी जमा करवाना

107. पोलिंग पार्टियों द्वारा रिसीट सेन्टर पर मतदान स्थलवार मतपेटियाँ एवं अन्य निर्वाचन सामग्रियां जमा कराई जाएंगी। यह सुनिश्चित करना सेक्टर मजिस्ट्रेट का उत्तदायित्व है कि समस्त पोलिंग पार्टियाँ द्वारा यथा शीघ्र निर्वाचन सामग्रियाँ एवं मतपेटिका जमा करा दी गयी है। पोलिंग पार्टियों द्वारा समस्त निर्वाचन सामग्री जमा कराए जाने के पश्चात इस आशय का एक प्रमाण पत्र **परिशिष्ट–76** के प्रारूप पर सहायक रिटर्निंग आफिसर एवं निर्वाचन कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध कराना होगा कि सेक्टर की समस्त पोलिंग पार्टियों के द्वारा निर्वाचन सामग्री जमा करा दी गयी हैं। सामग्री जमा कराने के उपरान्त सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा अपने पोलिंग पार्टी के पीठासीन अधिकारी को कार्यमुक्त प्रमाण–पत्र **परिशिष्ट–77** पर निर्गत किया जाएगा।

शान्तिपूर्ण मतदान सम्पन्न होना

108(1)यदि किसी मतदेय स्थल पर मतदान प्रक्रिया में विघ्न पड़ने अथवा शान्ति व्यवस्था भंग होने के कारण गम्भीर स्थिति पैदा होती है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा परिस्थिति अनुसार संयम एवं विवेक के साथ सहयोगी सुरक्षा कर्मियों के साथ समस्या का निदान किया जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट का उक्त स्थित में प्रभावित मतदेय स्थल से हट जाना या चले जाने से मतदान पार्टियाँ हतोत्साहित होंगी, जो उचित नहीं हैं। किसी भी गम्भीर समस्या के उत्पन्न होने पर इसकी सूचना तुरन्त सहायक रिटर्निंग आफिसर एवं निर्वाचन कन्ट्रोल रूम को प्रेषित की जाएगी।

(2) मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा इस आशय की रिपोर्ट **परिशिष्ट–75** के प्रारूप पर अपने से सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर/कन्ट्रोल रूम को दी जाएगी कि उनके प्रभार के समस्त मतदेय स्थलों पर स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष मतदान हुआ है। सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक अपना स्थान (कार्यक्षेत्र) नहीं छोड़ेगे। जब तक कि सहायक रिटर्निंग आफिसर/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उन्हें मुक्त न कर दिया जाए।

मतदान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही

109(1) मतदान स्थलों के सम्बन्ध में, जिसका भ्रमण सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया, जो भी तथ्य पाया जाए उसका उल्लेख डायरी में किया जाएगा।

(2) पीठासीन अधिकारी के पास समस्त अभिलेख पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है यदि कोई कमी पायी गयी है तो रिजर्व से उसकी पूर्ति कराई जाए और इसकी सूचना तत्काल प्रेषित की जाए।

(3) समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पीठासीन अधिकारियों के द्वारा मतपत्र लेखा सही बनाया गया है कि नहीं। मतपत्र लेखा सही रूप से बनवाए जाने का दायित्व सेक्टर मजिस्ट्रेट का होगा।

(4) नियुक्त प्रेक्षक महोदय भी क्षेत्र में रहकर दौरा करेंगे जिनसे सामंजस्य बनाए रखना भी सेक्टर मजिस्ट्रेट व पोलिंग कर्मियों का उत्तरदायित्व होगा।

अध्याय – 14
मतगणना प्रबन्ध

निर्वाचन प्रक्रिया में मतगणना और परिणाम की घोषणा का कार्य मतदान प्रक्रिया का अन्तिम चरण होता है। अतः मतगणना के कार्य को अत्यन्त व्यवस्थित, विधिवत, शान्तिपूर्ण और सुचारू रूप से सम्पादित कराना निर्वाचन अधिकारी का मुख्य दायित्व है।

मतगणना की तिथि, स्थान व समय

110(1) चुनाव अधिकारी की अधिसूचना के क्रम में निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग अधिकारी) द्वारा मतों की गणना के लिए तिथि, स्थान व समय की सूचना निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को, कार्यालय के नोटिस बोर्ड द्वारा दी जाएगी;

(2) यदि मतों की गणना के लिए नियत समय पर मतपेटिकाएं, जिनमें मतों की गणना के लिए मतपत्र हों, निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त न हों या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से वह गणना की कार्यवाही करने में असमर्थ हो, तो निर्वाचन अधिकारी, चुनाव अधिकारी की अनुमति से, दूसरे दिनांक के लिए गणना को स्थागित कर सकता है और इसके लिए समय व स्थान निश्चित कर सकता है। संशोधित गणना कार्यक्रम की सूचना सभी उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को कार्यालय के नोटिस बोर्ड द्वारा दी जाएगी।

गणना केन्द्र बनाया जाना

111(1) सामान्यतया मतगणना का कार्य खण्ड मुख्यालय परिसर में सम्पादित होगा। विशेष परिस्थितियों में चुनाव अधिकारी की अनुमति से खण्ड परिसर के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी गणना का कार्य कराया जा सकता है;

(2) मतगणना के लिए ऐसे स्थल (हॉल) का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें 60x40 फीट का आच्छादित स्थान उपलब्ध हो। यदि ऐसा हाल उपलब्ध न हो तो खुले स्थान पर 60 x 40 फीट का पंडाल लगाकर मतगणना की व्यवस्था की जा सकती है;

(3) हॉल/पंडाल में 6 x 5 फीट की 14 गणना मेजें लगाई जाएंगी और एक मेज (12 x 5 फीट की) निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी तथा उनके सहायक स्टाफ के बैठने के लिए होगी;

(4) उम्मीदवारों अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए भी स्थान सुरक्षित रखा जाएगा;

(5) मतगणना हॉल/पंडाल में अन्दर आने का एक ही रास्ता रखा जाएगा और उक्त हॉल/पंडाल सभी ओर से दीवाल अथवा कनात से घिरा रहेगा;

(6) हाल के अन्दर दोनों तरफ बल्ली लगाकर आठ–आठ फुट का गलियारा रखा जाएगा जो मतगणना अभिकर्ताओं के खड़े होने/बैठने के लिए निश्चित रहेगा;

(7) एक गणना मेज पर 7 कुर्सियां, एक मतगणना पर्यवेक्षक के लिए तथा छः गणना सहायकों के लिए, होंगी;

(8) अन्दर आने वाले रास्ते के विपरीत दिशा में कोने पर दरी बिछा कर गणना के पश्चात् पैकेटों के सील बन्द करने की व्यवस्था होगी;

(9) हॉल में दोनों तरफ सात–सात गणना मेजें लगायी जाएंगी बीच में आठ फुट का रास्ता गणना कार्य में लगे कर्मियों तथा अन्य सम्बद्ध स्टाफ के चलने–फिरने के लिए छोड़ा जाएगा;

(10) प्रत्येक मेज पर प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। बीच के रास्ते में भी प्रकाश की व्यवस्था होगी। निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी की मेज पर भी प्रकाश की व्यवस्था होगी;

(11) मतपत्रों के पैकेटों को सील करने के स्थान पर भी प्रकाश की व्यवस्था होगी। मतगणना हॉल/पंडाल के अन्दर आने के रास्ते पर यथाआवश्यक दो फोकस लाइट व अन्य तीन कोनों पर तीन फोकस लाइट कुल पांच फोकस लाइटों की व्यवस्था होगी;

(12) हॉल के अन्दर निर्वाचन अधिकारी की मेज पर लाउडस्पीकर सेट होगा। जिसके दो हार्न पंडाल के बाहर स्थापित किए जाएंगे;

(13) मतगणना अभिकर्ताओं के खड़े होने के स्थान पर आवश्यकतानुसार (अधिकतम 10 छोटी कुर्सियाँ प्रति मेज) कुर्सियों की व्यवस्था भी की जा सकती है;

(14) मतगणना कक्ष/पंडाल का नक्शा **(परिशिष्ट–78)** में दिया गया है;

(15) मतगणना कक्ष की उक्त व्यवस्था में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यथा आवश्यक परिवर्तन किया जाएगा।

मतगणना सामग्री

112. मतगणना के लिए प्रत्येक मतगणना मेज पर निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होगी:–

(i) डाट पेन–7

(ii) कागज के दस पन्ने (फुल स्कैप)

(iii)गीला स्पंज या छोटे प्याले में पानी–3

(iv)सुतली (लगभग 200 ग्राम)

(v) रबर बैंड (लगभग 100 ग्राम)

(vi)छः पेपर वेट या पत्थर के छोटे टुकड़े

(vii) गणना परिणाम प्रपत्र **(परिशिष्ट–79)**

(viii) पर्ची **(सम्बन्धित परिशिष्ट–80)**

मतपत्रों आदि की गणना के बाद सील करने की सामग्री

113(1) मतपत्रों की गणना के पश्चात् सील करने हेतु निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होगी:–

(i) मतपत्रों की पैकेटिंग के लिए आवश्यकतानुसार बॉसी कागज

(ii) धागा–एक गोला

(iii) ब्लेड–1

(iv) सूजा–1

(v) सीलिंग मैटिरियल (चपड़ा (लाख) 200 ग्राम, मोमबत्ती 2, धातु की मोहर)

(vi) रबर स्टैम्प

(vii) अस्वीकृत मतपत्रों की सूची (**परिशिष्ट–81** के अनुसार)

मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था

114. निर्वाचन अधिकारी का यह दायित्व है कि मतगणना को शान्तिपूर्ण और सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए। सुरक्षा व्यवस्था का आंकलन और निर्धारण निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी एवं जिला पुलिस प्रमुख से विचार विमर्श करके किया जाएगा। सुरक्षा बल गणना हॉल/पंडाल के बाहर ही तैनात होंगे। उसे निर्वाचन अधिकारी की अनुमति बिना अन्दर जाने की अनुमति नहीं होगी।

मतगणना स्थल पर उपस्थित रहने वाले व्यक्ति

115(1) मतगणना परिसर में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से निम्नलिखित का प्रवेश अनुमन्य होगाः–

(i) मतगणना कार्य में लगे गणना कर्मी;

(ii) निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त स्टाफ;

(iii) ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बल, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार तथा उनके निर्वाचन अभिकर्ता अथवा मतगणना अभिकर्ता;

(iv) मतगणना कार्य में पंडाल, प्रकाश, लंच आदि व्यवस्था के लिए नियोजित व्यक्ति जिन्हें निर्वाचन अधिकारी द्वारा सीमित संख्या में प्रवेश–पत्र जारी किया गया हो।

(v) चुनाव अधिकारी या उपचुनाव अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भी मतगणना स्थल पर रह सकते हैं।

(2) मतगणना मेज पर एक समय में उम्मीदवार, उसका मतगणना अभिकर्ता या निर्वाचन अभिकर्ता में से एक ही व्यक्ति उपस्थित रहेगा।

(3) शान्ति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उपरोक्त व्यक्तियों को निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रवेश–पत्र जारी किया जाए और सुरक्षा बलों को निर्देश दे दिया जाए कि उक्त प्रवेश–पत्र धारित व्यक्तियों को छोड़कर अन्य किसी को अन्दर न आने दें।

(4) हॉल/पंडाल में उपस्थित व्यक्तियों का बार–बार अन्दर बाहर आना नियंत्रित किया जाए।

(5) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को विशेष रूप से निर्देश दे दिया जाए कि यदि वह स्वयं मतगणना के समय उपस्थित होने में असमर्थ हैं, तो गणना अभिकर्ता की नियुक्ति करके गणना की तिथि से एक दिन पहले तक निर्वाचन अधिकारी को नियुक्ति पत्र की एक प्रति सौंप दें और निर्वाचन अधिकारी से उन्हें उसी दिन प्रवेश–पत्र जारी करा दिया जाए।

मतपेटिकाओं की

116. मतगणना स्थल पर लाई गई मतपेटिकाओं की सील आदि की जाँच कर

जाँच

ली जानी चाहिए। उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को या गणना अभिकर्ताओं को ऐसा अवसर देना चाहिए कि वे मतपेटिकाओं और उनकी मोहरों के ठीक होने की संतुष्टि के लिए निरीक्षण कर लें।

मतपेटिकाओं में गड़बड़ी

117(1) निर्वाचन अधिकारी को स्वयं इस बात से भी संतुष्ट हो जाना चाहिए कि मतपेटिकाओं में गड़बड़ी नहीं की गयी है। यदि मतपेटिकाओं में गड़बड़ी की गयी हो तो निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली के अनुलग्नक 'ग' के नियम 80 (ड.) (मतदान निरस्त कर दुबारा मतदान कराने की कार्यवाही करना) के अनुसार कार्यवाही करेगा तथा इसकी सूचना उपचुनाव अधिकारी के माध्यम से चुनाव अधिकारी को देगा।

(2) किसी उम्मीदवार अथवा निर्वाचन अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता द्वारा मतपेटिका में गड़बड़ी के सम्बन्ध में आरोप लगाए जाने पर यदि निर्वाचन अधिकारी सहमत नहीं होता है उसे इस सम्बन्ध में एक संक्षिप्त टिप्पणी अभिलिखित करनी होगी।

मतगणना की गोपनीयता

118. मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त उपस्थित व्यक्तियों को मतगणना की गोपनीयता बनाए रखने का निर्देश दिया जाएगा।

मतगणना की व्यवस्था

119(1) चुनाव अधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना में निर्धारित तिथि के अनुसार निश्चित समय व स्थान पर मतगणना का कार्य किया जाएगा। मतगणना की सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का दायित्व निर्वाचन अधिकारी का होगा तथा उसकी सहायता सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी;

(2) जल उपभोक्ता समिति के निर्वाचन में मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण अभ्यर्थियों के बीच हार जीत का अंतर बहुत कम मतों का रहता है। अतः यह अवश्यक है कि मतगणना कार्य में वरिष्ठ और अनुभवी कर्मचारी लगाए जाएं;

(3) मतगणना के लिए चयनित भवन का परिसर खुला हुआ होना चाहिए ताकि उसमें निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी, गणना पर्यवेक्षकों, गणना सहायकों, अभ्यर्थियों तथा उनके अभिकर्ताओं के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान हो;

(4) मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। मतगणना स्थल पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। उपयुक्त होगा कि विद्युत के प्रवाह अचानक बंद होने की दशा में एक आपात उपयोगी (स्टैण्डबाई) डीजल जनरेटर की व्यवस्था की जाए।

मतगणना कक्ष में प्रवेश

120(1) मतगणना हाल में केवल निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी :–

(क) गणना सहायक और गणना पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति;

(ख) मुख्य चुनाव अधिकारी अथवा चुनाव अधिकारी अथवा उप चुनाव अधिकारी अथवा खण्डीय निर्वाचन अधिकारी द्वारा

प्राधिकृत व्यक्ति;

(ग) मतगणना के सम्बन्ध में ड्यूटी पर लगाए गए लोक सेवक;

(घ) अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता और गणना अभिकता;

(2) निर्वाचन अधिकारी गणना के समय उपस्थित उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और गणना अभिकर्ताओं को अपना यह समाधान करने के लिए, कि मतपेटियाँ और मुहरे सही दशा में हैं, उनका निरीक्षण करने का अवसर देगा।

अध्याय–15
मतगणना (कुलाबा समिति)

मतगणना मेज पर मतपेटियों का खोला जाना

121 (1) यदि निर्वाचन अधिकारी को यह समाधान हो जाए कि सभी मतपेटियाँ, जिनकी उस स्थान पर मतगणना की जानी हो, प्राप्त हो गयी है और वे सही दशा में हैं तो वह मतपेटियों में बन्द **मतपत्रों की गणना निम्नानुसार प्रारम्भ करेगा :–**

(क) जैसे ही मतपेटिका खोली जाए, निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी मतपेटिका की पहचान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसमें बनाए गए चिन्हों की जाँच करेगा;

(ख) उपर्युक्त रीति से मुहरों आदि की समाधानात्मक जाँच कर लिए जाने पर मतदान स्थल की मतपेटिका को खोल कर उसमें से सभी मतपत्र गणना मेज पर निकाले जाएंगे। मतपेटी से निकले समस्त मतपत्रों की संख्या को अभिलिखित किया जाएगा।

(ग) मतगणना अभिकर्ताओं को यह देखने का अवसर दिया जाए कि बक्सों से सभी मतपत्र बाहर निकाल दिए गए हैं और वे पूर्णतः खाली हो गए हैं;

(घ) इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि मतपत्रों को मतपेटिकाओं से बाहर निकालते समय कोई मतपत्र इधर–उधर न होने पाए;

(ड.) गणना की मेजों पर मतदान केन्द्र के मतदान स्थलों की सभी मतपेटिकाएं रखी जाएंगी। गणना की मेज पर सम्बन्धित मतदान स्थल पर प्रयुक्त समस्त मतपत्रों का लेखा भी दिया जाएगा, जो मतदान स्थल पर प्रयोग हुए हैं;

मतगणना हेतु मतपत्रों का बण्डल बनाना

122. मतगणना हेतु कुलाबा समिति के मतपत्रों का बण्डल निम्न प्रकार बनाया जाएगाः–

(i) समस्त रंगों के मतपत्र पैतृक नहरवार एवं कुलाबा नम्बर वार एक साथ एकत्रित कर बण्डल बनाकर रखा जाएगा;

(ii) एक बण्डल में रखे एक रंग के मतपत्रों को कुलाबावार एक साथ करके उप–बण्डल बनाकर उम्मीदवारों को मिले मतों की संख्या की गणना सब–कमाण्डवार की जाएगी;

(iii) गणना का विवरण प्रत्येक पद के लिए निर्धारित **(परिशिष्ट–79)** में अंकित किया जाएगा।

(iv) मतपत्रों की गड्डियां बांधते समय यह ध्यान रखा जाए कि कोई मतपत्र रद्द किए जाने योग्य तो नहीं है।

मतपत्रों का स्वीकृत/ निरस्त किया जाना

123 (1) मतपत्रों को निम्न आधारों पर अस्वीकृत अथवा निरस्त किया जा सकता हैः–

(i) जब कोई भी निशान न लगा हो या निशान इसके प्रयोजनार्थ दिए गए उपकरण से भिन्न तरीके से लगाया गया हो;

(ii) जब निशान पृष्ठ भाग पर पर लगा हो;

(iii) जब मतपत्र पर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र (कुलाबा सब–कमाण्ड) हेतु एक से अधिक प्रत्याशियों के सामने निशान लगे हों;

(iv) जब उस पर कोई लेख या निशान हो जिससे मतदाता की पहचान हो सकती हो;

(v) जब मतपत्र इतना कटा–फटा हो कि इसकी पहचान न की जा सकती हो;

(vi) जब मतपत्र प्रमाणित न हो या वह नकली हो;

(vii) निशान चुनाव चिन्ह को विभाजित करने वाली रेखाओं के मध्य अंकित किया गया हो;

(viii) उपर्युक्त कारणों में से कोई एक कारण मतपत्र को पूर्ण रूप से अस्वीकृत करने के लिए पर्याप्त होगा।

(ix) यदि मत को इंगित करने वाला चिन्ह, ऐसे तरीके से बनाया गया हो, जिससे यह संदेह हो जाए कि किस उम्मीदवार को मत दिया गया है तो ऐसे मतपत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(2) मतपत्रों को निम्न परिस्थितियों में भी स्वीकृत किया जाएगाः–

(i) मतपत्र में उम्मीदवार के प्रतीक के सामने चिन्ह लगाया जा सकता है। यह अनिवार्य नहीं है कि वह केवल चुनाव चिन्ह के ऊपर ही मुहर लगाए। यदि चिन्ह अन्यत्र लगाया गया है, और यह उचित रूप से स्पष्ट है, कि वह एक खास उम्मीदवार को मत देना चाहता है, तब उस उम्मीदवार के लिए मत की गणना की जानी चाहिए।

(ii) एक निर्वाचक किसी उम्मीदवार के प्रतीक के सामने एक से अधिक चिन्ह लगा सकता है। उससे न तो मतपत्र अमान्य होगा और न ही प्रश्नगत उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया मत अवैध होगा।

(iii) यदि मूल निशान वास्तव में एक उम्मीदवार के स्तम्भ में लगाया गया है परन्तु मतपत्र को किसी प्रकार मोड़ने के फलस्वरूप उसकी किसी अन्य उम्मीदवार के स्तम्भ में छाया आ जाती है तो ऐसा मत मूल निशान के उम्मीदवार के पक्ष में ही दिया गया माना जाएगा।

(iv) जहाँ चिन्ह इस प्रकार से लगाया गया है, कि उसका एक भाग दो उम्मीदवारों के बीच विभाजित करने वाली रेखा को छूता हो या पार करता हो, तब भी, निश्चित रूप से वह संदिग्ध मत का मामला नहीं होगा। यदि चिन्ह की स्थिति ऐसी है, कि उससे पर्याप्त निश्चितिता के साथ सूचित होता है, कि मतदाता एक खास उम्मीदवार के पक्ष में अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए उक्त उम्मीदवार के प्रतीक के सामने चिन्ह लगाना चाहता है, तब उसे उम्मीदवार के पक्ष में मत के रूप में मान लेना चाहिए।

(3) चिन्ह का प्रत्येक मामला जिसके बारे में विवाद है या जिसके बारे में गणना लिपिक को स्वयं संदेह है, निर्वाचन अधिकारी को उसके आदेश के लिए प्रस्तुत कर दिया जाए।

(4) निर्वाचन अधिकारी, उम्मीदवारों, निर्वाचन अभिकर्ताओं और गणना अभिकर्ताओं को, जो उपस्थित हों, ऐसे सभी मतपत्रों, जो निर्वाचन अधिकारी की राय में अस्वीकृत किए जाने योग्य हैं, निरीक्षण करने का उचित अवसर देगा, किन्तु उन्हे इन मतपत्रों या किसी अन्य मतपत्र को छूने की अनुमति नहीं देगा। निर्वाचन अधिकारी ऐसे प्रत्येक मतपत्र पर जो अस्वीकृत कर दिया जाए, हिन्दी में देवनागरी लिपि में ''अस्वीकृत'' अभिलिखित करेगा।

मतों का बराबर होना

124. मतों की गणना पूर्ण हो जाने के पश्चात् यदि किन्हीं प्रत्याशियों के मध्य मतों के बराबर होने की स्थिति पाई जाए और एक मत के बढ़ जाने से किसी प्रत्याशी के निर्वाचित होने की सम्भावना हो तो रिटर्निंग ऑफिसर उन प्रत्याशियों के मध्य टॉस द्वारा तत्काल विनिश्चय करेगा और इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानों टॉस में विजेता प्रत्याशी को अतिरिक्त मत मिल गया हो।

अध्याय–16
मतगणना (अल्पिका/रजबहा/शाखा समिति)

मतपेटिकाओं का गणना मेज पर खोलना

125. (1) यदि निर्वाचन अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि सभी मतपेटियाँ, जिनकी उस स्थान पर मतगणना की जानी हो, प्राप्त हो गयी है और वे सही दशा में हैं तो वह मतपेटियों में बन्द **मतपत्रों की गणना निम्नानुसार प्रारम्भ करेगा :–**

(क) जैसे ही मतपेटिका खोली जाय, निर्वाचन अधिकारी मतपेटिका की पहचान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसमें बनाए गए चिन्हों की जांच करेगा;

(ख) उपर्युक्त रीति से मुहरों आदि की समाधानात्मक जाँच कर लिए जाने पर मतदान स्थल की मतपेटिका को खोल कर उसमें से सभी मतपत्र गणना मेज पर निकाले जाएंगे;

(ग) मतगणना अभिकर्ताओं को यह देखने का अवसर दिया जाए कि बाक्सों से सभी मतपत्र बाहर निकाल दिए गए हैं और वे पूर्णतः खाली हो गए हैं;

(घ) इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि मतपत्रों को मतपेटिकाओं से बाहर निकालते समय कोई मतपत्र इधर–उधर न होने पाए;

(ड.) गणना की मेजों पर मतदान केन्द्र के मतदान स्थलों की सभी मतपेटिकाएं रखी जाएंगी। गणना की मेज पर सम्बन्धित मतदान स्थल पर प्रयुक्त समस्त मतपत्रों का लेखा भी दिया जाएगा, जो मतदान स्थल पर प्रयोग हुए;

मतपत्रों का बण्डल बनाना

126. अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/ शाखा समिति की मतगणना हेतु मतपत्रों का बण्डल निम्न प्रकार बनाया जाएगा :–

(1) समस्त रंग के मतपत्रों को नहरवार एक साथ रखकर बण्डल बनाया जाएगा।

(2) प्रत्येक बण्डल के प्रत्येक मतपत्र के समस्त भागों पर डाले गए मत की वैधता की जाँच निम्नानुसार की जाएगी :–

(i) यदि मतपत्र के प्रत्येक भाग में अलग–अलग चुनाव चिन्हों पर मत दिया गया है तो मतपत्र के सभी भाग वैध होंगे। उक्त मतपत्र के प्रत्येक भाग को अलग कर लिया जाएगा।

(ii) यदि मतपत्र के विभिन्न भागों में किसी एक ही चुनाव चिन्ह पर एक से अधिक बार मत दिया गया है तो एक भाग के अतिरिक्त अन्य सभी भागों को अवैध माना जाएगा तथा उन अवैध भागों पर क्रास (×) का निशान बनाया जाएगा एवं ''निरस्त'' अभिलिखित

किया जाएगा। निरस्त अभिलिखित करने के पश्चात् मतपत्र के समस्त भागों का अलग कर लिया जाएगा।

(iii) उक्त प्रकार से मतपत्र के अलग किए गए भागों का दो बण्डल (नहरवार) बनाया जाएगा। पहले बण्डल में वैध मतपत्र होंगे तथा दूसरे बण्डल में अवैध (निरस्त) मतपत्र होंगे।

(iv) वैध एवं अवैध बण्डलों के मतपत्रों को मतगणना हेतु रीचवार (रंगवार) एक साथ रखकर उप–बण्डल बनाकर रखा जाएगा।

मतपत्रों को स्वीकृत/निरस्त किया जाना

127. (1) मतपत्रों को निम्न आधारों पर अस्वीकृत अथवा निरस्त किया जा सकता है:–

(i) जब कोई भी निशान न लगा हो या निशान इसके प्रयोजनार्थ दिए गए रबर सील से भिन्न तरीके से लगाया गया हो;

(ii) जब निशान पृष्ठ भाग पर पर लगा हो;

(iii) जब मतपत्र के विभिन्न भाग पर एक से अधिक प्रत्याशियों के सामने निशान लगे हों;

(iv) जब उस पर कोई लेख या निशान हो जिससे मतदाता की पहचान हो सकती हो;

(v) जब मतपत्र इतना कटा–फटा हो कि इसकी पहचान न की जा सकती हो;

(vi) जब मतपत्र प्रमाणित न हो या वह नकली हो;

(vii) निशान चुनाव चिन्ह को विभाजित करने वाली रेखाओं के मध्य अंकित किया गया हो;

(viii) उपर्युक्त कारणों में से कोई एक कारण मतपत्र को पूर्ण रूप से अस्वीकृत करने के लिए पर्याप्त होगा;

(ix) यदि मत को इंगित करने वाला चिन्ह, ऐसे तरीके से बनाया गया है, जिससे यह संदेह हो जाए कि किस उम्मीदवार को मत दिया गया है तो ऐसे मतपत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा;

(x) यदि प्रश्नगत मतदान स्थल पर प्रयोग के लिए अधिकृत मतपत्र अथवा मतदान स्थल हेतु उपलब्ध कराई गई मतपत्र संख्या से भिन्न मतपत्र अथवा भिन्न मतपत्र संख्या अंकित हो।

(2) मतपत्रों को निम्न परिस्थितियों में भी स्वीकृत किया जाएगा:–

(i) मतपत्र में उम्मीदवार के प्रतीक के सामने चिन्ह लगाया जाना चाहिए। यह अनिवार्य नहीं है कि वह केवल चुनाव चिन्ह के ऊपर ही मुहर लगाए। यदि चिन्ह अन्यत्र लगाया गया है, और यह उचित रूप से स्पष्ट है, कि वह एक खास उम्मीदवार को मत देना चाहता है, तब उस उम्मीदवार के लिए मत की गणना की जानी चाहिए।

(ii) एक निर्वाचक किसी उम्मीदवार के प्रतीक के सामने एक से अधिक चिन्ह लगा सकता है। उससे न तो मतपत्र अमान्य होगा और न ही प्रश्नगत उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया मत अवैध होगा।

(iii) यदि मूल निशान वास्तव में एक उम्मीदवार के स्तम्भ में लगाया गया है परन्तु मतपत्र को किसी प्रकार मोड़ने के फलस्वरूप उसकी किसी अन्य उम्मीदवार के स्तम्भ में छाया आ जाती है तो ऐसा मत मूल निशान के उम्मीदवार के पक्ष में ही दिया गया माना जाएगा।

(iv) जहाँ चिन्ह इस प्रकार से लगाया गया है, कि उसका एक भाग दो उम्मीदवारों के बीच विभाजित करने वाली रेखा को छूता हो या पार करता हो, तब भी, निश्चित रूप से वह संदिग्ध मत का मामला नहीं होगा। यदि चिन्ह की स्थिति ऐसी है, कि उससे पर्याप्त निश्चितता के साथ सूचित होता है, कि मतदाता एक खास उम्मीदवार के पक्ष में अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए उक्त उम्मीदवार के प्रतीक के सामने चिन्ह लगाना चाहता है, तब उसे उम्मीदवार के पक्ष में मत के रूप में मान लेना चाहिए।

(3) चिन्ह का प्रत्येक मामला जिसके बारे में विवाद है या जिसके बारे में गणना लिपिक को स्वयं संदेह है, निर्वाचन अधिकारी को उसके आदेश के लिए प्रेषित कर दिया जाए।

(4) निर्वाचन अधिकारी, उम्मीदवारों, निर्वाचन अभिकर्ताओं और गणना अभिकर्ताओं को, जो उपस्थित हों, ऐसे सभी मतपत्रों, जो निर्वाचन अधिकारी की राय में अस्वीकृत किए जाने योग्य हैं, निरीक्षण करने का उचित अवसर देगा, किन्तु उन्हें इन मतपत्रों या किसी अन्य मतपत्र को छूने की अनुमति नहीं देगा। निर्वाचन अधिकारी ऐसे प्रत्येक मतपत्र पर जो अस्वीकृत कर दिया जाय, हिन्दी में देवनागरी लिपि में ''अस्वीकृत'' अभिलिखित करेगा।

मतगणना के समय विघ्न

128(1) यदि मतों की गणना पूर्ण होने के पूर्व किसी समय मतदान केन्द्र पर मतदान के लिए निश्चित स्थल पर प्रयोग किए गए मतपत्रों को रिटर्निंग आफिसर की अभिरक्षा से अवैध रूप से ले लिए जाएं या मतपत्रों को ऐसी सीमा तक नष्ट कर दिए जाएं या गायब कर दिए जाएं या क्षतिग्रस्त या विरूपित कर दिए जाएं कि उक्त मतदान केन्द्र या स्थल पर मत के परिणाम के विषय में सुनिश्चित न किया जा सके तो रिटर्निंग ऑफिसर उक्त मामले के सम्बन्ध में उप चुनाव अधिकारी को तत्काल सूचित करेगा।

(2) तत्पश्चात् उप चुनाव अधिकारी उस समय की परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात्, या तो, :–

(क) मतों की गणना को रोके जाने के लिए निर्देशित करेगा या उस मतदान केन्द्र या स्थल के मतदान को शून्य घोषित करेगा और उस मतदान केन्द्र या स्थल पर नए सिरे से मतदान शुरू कराने के लिए

समय निश्चित करेगा और इस प्रकार नियत दिनांक व नियत समय को ऐसी रीति से अधिसूचित करेगा जैसा वह उचित समझे;

(ख) यदि रिटर्निंग अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उक्त मतदान केन्द्र या स्थल पर नए सिरे से कराए गए मतदान के परिणाम का प्रभाव किसी भी रूप में निर्वाचन के परिणाम पर नहीं पड़ता है तो वह ऐसे निदेश जारी कर सकता है जैसा वह निर्वाचन के पुनर्आम्भ और पूर्ण किए जाने के लिए और उस निर्वाचन, जिसके सम्बन्ध में मतों की गणना की गई है, के अग्रिम संचालन और पूर्ण किए जाने के लिए उचित समझे।

(3) ऐसे नए सिरे से कराए गए किसी या प्रत्येक नए मतदान पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसा वे मूल मतदान पर लागू होते हैं।

प्रयुक्त मतपत्रों पर मुहर अंकित किया जाना

(4) तत्पश्चात् प्रत्येक प्रत्याशी के वैध मतपत्रों एवं अस्वीकृत मतपत्रों को पृथक–पृथक बंडल में बांधा जाएगा और विभिन्न बंडलों को एक पृथक पैकेट में पैक करके उसे रिटर्निंग आफिसर और ऐसे प्रत्याशियों, उनके निर्वाचन एजेन्टों और गणना एजेण्टों की मुहर के साथ मुहर बंद किया जाएगा जो उन पर अपनी मुहर अंकित करने के इच्छुक होंगे और अंकित किए जाने वाले पैकेटों पर निम्नलिखित विवरण अभिलिखित किए जाएंगेः–

(क) मतदान केन्द्र की संख्या/कुलाबा की संख्या/जल उपभोक्ता समिति का नाम/अल्पिका/रजबहा का नाम; और

(ख) गणना की तारीख।

नए सिरे से किए गए मतदान की दशा में मतदान की गणना

(5) यदि नया मतदान कराया जाता है तो रिटर्निंग आफिसर मतदान पूर्ण होने के पश्चात् ऐसे दिनांक समय या स्थल पर मतों की गणना पुनः प्रारम्भ करेगा जैसा उस निमित्त उसके द्वारा निर्धारित किया गया और जिसके लिए प्रत्याशियों और उसके निर्वाचन एजेण्टों को पहले से ही नोटिस दी जा चुकी है।

(6) गणना से सम्बन्धित समस्त उपबन्ध इस सन्दर्भ में यथावत् लागू होंगे।

अध्याय–17
मतपत्रों के पैकेट, पुर्नमतगणना एवं परिणाम की घोषणा

संदिग्ध मतपत्र का पैकेट

129. मतदान स्थल की मतपेटियों से प्राप्त समस्त संदिग्ध मतपत्रों को एक पृथक पैकेट में रखा जाएगा और उस पर ऐसे ब्यौरे अंकित होंगे, जिससे मतदान स्थल, शाखा/रजबहा/अल्पिका/रीच/कुलाबा नम्बर/कुलाबा सब कमाण्ड, जिससे सम्बन्धित मतपत्र हो, की पहचान हो सके।

अवैध मतपत्रों का पैकेट

130. गणना मेज पर मतपेटी से प्राप्त समस्त अवैध मतपत्रों को एक पैकेट में रखा जाएगा।

वैध मतपत्रों का पैकेट

131. प्रत्येक उम्मीदवार के वैध मतपत्रों के बंडलों को एक साथ बांध दिया जाएगा और उस पर पर्ची **(परिशिष्ट–82)** लगा दी जाएगी, जिसमें उन बण्डलों की कुल संख्या तथा उम्मीदवार का नाम लिखा जाएगा। पर्ची पर वैध मतपत्रों की कुल संख्या भी लिखी जाएगी।

अवैध एवं संदिग्ध मतपत्रों पर अंतिम निर्णय एवं पैकेट

132(1) गणना मेज से गणना पर्ची एवं मतपत्रों के बंडल प्राप्त होने पर गणना पर्यवेक्षक अस्वीकृत किए जाने वाले मतपत्रों के बंडलों को निर्वाचन अधिकारी को दे देंगे। निर्वाचन अधिकारी उसके वैध और संदिग्ध मतपत्रों की जांच करेगा, अन्तिम आदेश पारित करेगा और जहाँ कहीं आवश्यक होगा गणना पर्ची में संशोधन करेगा, परन्तु इस सम्बन्ध में एक संक्षिप्त टिप्पणी भी अभिलिखित करेगा।

(2) उपरोक्त वैध मतपत्रों की जाँच हो जाने पर तथा गणना पर्चियों में आवश्यकतानुसार प्रविष्टियों की शुद्धि किए जाने पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायक लिपिक की सहायता से गणना का परिणाम लिखा जाएगा तथा उसका सत्य परीक्षण किया जाएगा।

(3) पोलिंग स्टेशनों के मतपत्रों की गणना समाप्त होने पर तथा संदिग्ध मतपत्र प्राप्त हो जाने पर उनके निर्धारित प्रपत्रों में प्रविष्टियों को कर लिए जाने तथा उनका सत्य परीक्षण हो जाने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी समस्त मतपत्रों तथा अन्य कागजात को एक पैकेट में रख देगा।

निविदत्त (चैलेन्ज्ड) मतपत्र का पैकेट

133. निविदत्त मतपत्र वाले कोई भी लिफाफे न तो खोले जाएंगे और न ही उसमें रखे मतपत्रों की गणना की जाएगी।

मतपत्रों का मिलान

134(1) मतदान केन्द्र की मतदान स्थलों के मतपेटिकाओं में रखे गए मतपत्रों की गणना पूरी हो जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी को समस्त मतपत्रों की गणना कर लेनी चाहिए, ताकि वास्तविक मतपत्रों की संख्या तथा गणना में अंकित मतपत्रों की संख्या का मिलान हो सके।

(2) मतपेटियों में पाए गए मतपत्रों के सम्बन्ध में समस्त प्रविष्टियाँ पूरी हो जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी **(परिशिष्ट–80)** में उम्मीदवारों के लिए नियत स्तम्भों के अन्त में मतपत्रों की संख्या दर्ज करेगा। यह करने के बाद प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त वैध और अस्वीकृत मतपत्रों के आंकड़ों का योग किया

जाएगा और मतपेटिकाओं के साथ प्राप्त मतपत्र को मतपत्र लेखा से मिलान किया जाएगा। यदि मिलान के समय मतपत्रों की संख्या में अन्तर प्राप्त होता है तो निर्वाचन अधिकारी उसको अभिलिखित करेगा।

(3) **(परिशिष्ट–83)** का विवरण गणना पर्यवेक्षक द्वारा तैयार किया जाएगा, और उसके नाम सहित हस्ताक्षर करने के बाद निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे। सहायक निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी द्वारा इन प्रपत्रों की प्रविष्टियों का सत्य परीक्षण करने के पश्चात् निर्वाचित अभ्यर्थी का यथास्थान नाम लिखकर हस्ताक्षर किया जाएगा।

पुनर्गणना

135. किसी उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के प्रार्थना–पत्र पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित करने के पूर्व मतों की फिर से सम्पूर्ण या आंशिक गणना की जाएगी, किन्तु निर्वाचन अधिकारी किसी ऐसे प्रार्थना–पत्र को, जो उसे व्यर्थ या अनुचित जान पड़े, अस्वीकृत करने का कारण उसी समय अभिलिखित करके अस्वीकृत कर सकता है।

परिणाम की घोषणा

136. निर्वाचन अधिकारी, सदस्य जल उपभोक्ता समिति के निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पूर्व निर्धारित पंजिका **(परिशिष्ट–84)** पर विवरण दर्ज करके निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर लेगा तथा पंजिका पर स्वयं या सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन परिणाम की घोषणा करेगा एवं उसकी एक स्वहस्ताक्षरित प्रति चुनाव अधिकारी एवं उप चुनाव अधिकारी को देगा। परिणाम की घोषणा के पश्चात् तत्काल निर्वाचित सदस्य को निर्वाचित होने का प्रमाण–पत्र **(परिशिष्ट–61)** दिया जाएगा।

परिणाम का प्रकाशन

137. खण्डीय चुनाव अधिकारी खण्डीय कार्यालय तथा सम्बन्धित जल उपभोक्ता समिति के कार्यालय के सूचना–पट्ट पर स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एक अधिसूचना प्रकाशित करेगा जिसमें सम्यक् रूप से निर्वाचित प्रत्याशी का नाम दिया गया होगा।

मतपत्रों का निस्तारण

138(1) उप चुनाव अधिकारी परिणाम घोषित होने के पश्चात् सम्बन्धित चुनाव अधिकारी को परिणाम की प्रति प्रेषित करेगा। **इन पैकटों को, निर्वाचन सम्बन्धी विवाद के विनिश्चय के लिए चुनाव अधिकारी के आदेश के सिवाय, न तो खोला जाएगा और न उनके तथ्यों का निरीक्षण किया जाएगा और न उसे प्रस्तुत किया जाएगा।**

(2) खण्डीय चुनाव अधिकारी पैकेटों और मतदाता सूची की चिन्हित प्रतियों को एक वर्ष तक सुरक्षित रखेगा और तत्पश्चात् उन्हें चुनाव अधिकारी के निर्देशानुसार नष्ट करवा देगा।

निर्वाचन के सम्बन्ध में पदीय कर्तव्यों का उल्लंघन

139(1)ऐसा कोई व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 लागू होता है, और वह निर्वाचन के सम्बन्ध में अपने पदीय

कर्तव्य के उल्लंघन, किसी कृत्य या चूक का किसी युक्तियुक्त कारण के बिना दोषी है, तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 के अधीन दण्ड का भागी होगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134– किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित उसके पदीय कर्तव्यों का उल्लंघन संज्ञेय अपराध माना जाएगा, जिस हेतु सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकतम रू0 500 का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।

(2) मतदान केन्द्र पर बूथ कैपचरिंग या कदाचार के कृत्य में लिप्त कोई व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 132 और 135–क के अधीन दण्डित किया जाएगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 132– मतदान स्थल पर किसी व्यक्ति द्वारा कदाचार किए जाने अथवा पीठासीन अधिकारी के न्यायिक निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर पीठासीन अधिकारी अथवा पीठासीन अधिकारी द्वारा अधिकृत पुलिस कर्मी/अन्य कोई व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति को मतदान स्थल से बाहर निकाल/निकलवा सकता है, परन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा इस अधिकार का प्रयोग किसी मतदाता को मतदान करने से रोकने के लिए नहीं किया जाएगा। इस प्रकार निकाले गए व्यक्ति द्वारा पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बगैर पुनः मतदान स्थल में प्रवेश करना संज्ञेय अपराध माना जाएगा, जिस हेतु सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकतम 03 माह की जेल की सजा अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों दिया जा सकता है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135– (क) किसी व्यक्ति द्वारा बूथ कैप्चरिंग किए जाने पर सक्षम न्यायालय द्वारा न्यूनतम 01 वर्ष एवं अधिकतम 03 वर्ष की जेल तथा अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। यदि बूथ कैप्चरिंग करने में सम्मिलित कोई व्यक्ति सरकारी सेवक है तो उसे न्यूनतम 03 वर्ष एवं अधिकतम 05 वर्ष की जेल की सजा के साथ अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।

निर्वाचन से सम्बन्धित विवादों का समाधान

140. (1) जल उपभोक्ता समिति के किसी सदस्य के निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के 90 दिनों के भीतर सिंचाई विभाग के प्रभागीय/खण्डीय चुनाव अधिकारी के सम्मुख आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्नलिखित आधार पर चुनौती दी जा सकती है, कि :–

(क) चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है क्योंकि चुनाव निर्वाचन कदाचार, घूसखोरी तथा अवांछित दबाव के व्यापक उपयोग से प्रभावित हुआ है; अथवा

(ख) चुनाव परिणाम सारतः निम्नलिखित से प्रभावित हुआ है :–

(i) किसी नामांकन की आवांछित अस्वीकृति अथवा स्वीकृति द्वारा; अथवा

(ii) अधिनियम अथवा तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के अनुपालन में हुई विफलता द्वारा।

(2) इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को कदाचार, घूसखोरी अथवा अवांछित दबाव समझा जाएगा :–

(क) घूसखोरी, अर्थात, किसी प्रत्याशी द्वारा कोई उपहार, प्रस्ताव या प्रतिज्ञा अथवा प्रत्याशी की मौन सहमति से किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को इस दृष्टि से प्रेरित करना कि वह किसी निर्वाचन में खड़े होने अथवा खड़े न होने अथवा नाम वापस लेने अथवा मतदाता के मतदान करने अथवा न करने हेतु प्रेरित करे अथवा ऐसा प्रोत्साहन जिससे:–

(i) कोई व्यक्ति प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो अथवा न खड़ा हो अथवा अपने अभ्यर्थन से नाम वापस लिया हो; अथवा

(ii) कोई निर्वाचक मतदान करें अथवा मतदान न करें।

(ख) अवांछित दबाव, अर्थात् प्रत्याशी या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से अपने मताधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में प्रत्याशी के मौनानुमति से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अवरोध उत्पन्न करना अथवा अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करना;

परन्तु यह कि, इस खण्ड के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति या मतदाता को इस खण्ड के अर्थान्तर्गत स्वतंत्र मताधिकार प्रयोग करने में बाधा पहुँचाना माना जाएगा जो :–

(i) जो किसी प्रत्याशी अथवा मतदाता अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसके प्रति अभ्यर्थी अथवा मतदाता इच्छुक हो, को किसी प्रकार का नुकसान अथवा क्षति, जिसमें सामाजिक बहिष्कार, बोलचाल बन्द, जाति अथवा समुदाय से निष्कासन समाहित है, पहुँचाने की धमकी देगा; अथवा

(ii) किसी प्रत्याशी को प्रेरित करना अथवा प्रेरित करने का प्रयास करना अथवा किसी मतदाता, जो किसी प्रत्याशी में अभिरूचि रखता हो, को दैवी प्रकोप भाजन अथवा आध्यात्मिक परिनिन्दा का शिकार होने की धमकी देगा।

(3) प्रस्तर–140 (1) के अधीन आवेदन पत्र को चुनाव के समय किसी अभ्यर्थी अथवा किसी निर्वाचक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और उसमें सिंचाई विभाग के प्रभागीय चुनाव अधिकारी द्वारा यथाविनिश्चित विवरण अंकित होंगे।

(4)(क) सिंचाई विभाग के प्रभागीय/खण्डीय चुनाव अधिकारी द्वारा प्रस्तर–140 (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर :–

(i) आवेदक की सुनवाई करेगा तथा आवेदन को अस्वीकृत करेगा

अथवा;

(ii) निर्वाचन को निरस्त करेगा अथवा निर्वाचन को शून्य घोषित करेगा अथवा आवेदक को समुचित रुप से निर्वाचित घोषित करेगा अथवा अन्य कोई अनुतोष प्रदत्त करेगा।

(ख) प्रस्तर–140 (3) के अधीन प्रभागीय/खण्डीय चुनाव अधिकारी के आदेश द्वारा व्यथित कोई पक्षकार आदेश के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर सक्षम न्यायालय में अपील कर सकता है।

चुनाव अधिकारी द्वारा दिशा–निर्देश जारी करना

141. मतदाता सूची तैयार करने तथा निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु चुनाव अधिकारी द्वारा उ0प्र0सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 एवं तद्धीन निर्मित उ0प्र0सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के प्राविधानों तथा इस मैनुअल में दिए गए दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत यथाआवश्यक निर्देश निर्गत किए जा सकते हैं।